



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए माननीय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान



महिला स्व-सहायता समूह का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं
राज्य मंत्री माननीय श्री रामखेलावन पटेल



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्री	— श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
राज्य मंत्री	— श्री रामखेलावन पटेल
प्रमुख सचिव एवं विकास आयुक्त	— श्री उमाकांत उमराव
सचिव	— श्री धनंजय सिंह भदौरिया
अपर सचिव	— श्री अमरपाल सिंह
उप सचिव	— श्रीमती नेहा मारव्या
मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	— श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल
संचालक, पंचायतराज संचालनालय	— श्री आलोक कुमार सिंह
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्	— श्रीमती सूफिया फारुकी वली
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	— श्री एल.एम. बेलवाल
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	— श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	— श्रीमती निधि निवेदिता
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	— श्रीमती निधि निवेदिता
राज्य समन्वयक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना	— श्री आलोक कुमार सिंह
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना	— श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	— श्री आलोक कुमार सिंह
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— श्री बी.एस. चंदेल
संचालक, एम.जी.एस.आई.आर.डी.	— श्री संजय सराफ

खण्ड – एक

पंचायत
(पृष्ठ क्रमांक 3 से 18 तक)

खण्ड – दो

ग्रामीण विकास
(पृष्ठ क्रमांक 20 से 110 तक)

अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायत

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्थापना अनुभाग	3
2.	डीआरडीए अनुभाग	5
3.	पंचायत अनुभाग	6
4.	निर्माण	7
5.	बजट	8
6.	पंच-परमेश्वर	10
7.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	11
8.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)	18

खण्ड-2 ग्रामीण विकास

1.	विभागीय संरचना	20
2.	विभागीय जांच, नियुक्तियाँ, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण	21
3.	बजट	22
योजनाएं :		
4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	25
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (MGNREGS-MP)	28
6.	सामाजिक अंकेक्षण (SocialAudit)	40
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	42
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	47
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G)	54
10.	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	56
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	64
12.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PMPSNY)	67
13.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन(RURBAN)	74
14.	भोपाल हाट	78
15.	संस्थान :	
	● महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान (MGSIRD & Panchayatraj)	80
	● मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	93

खण्ड – एक

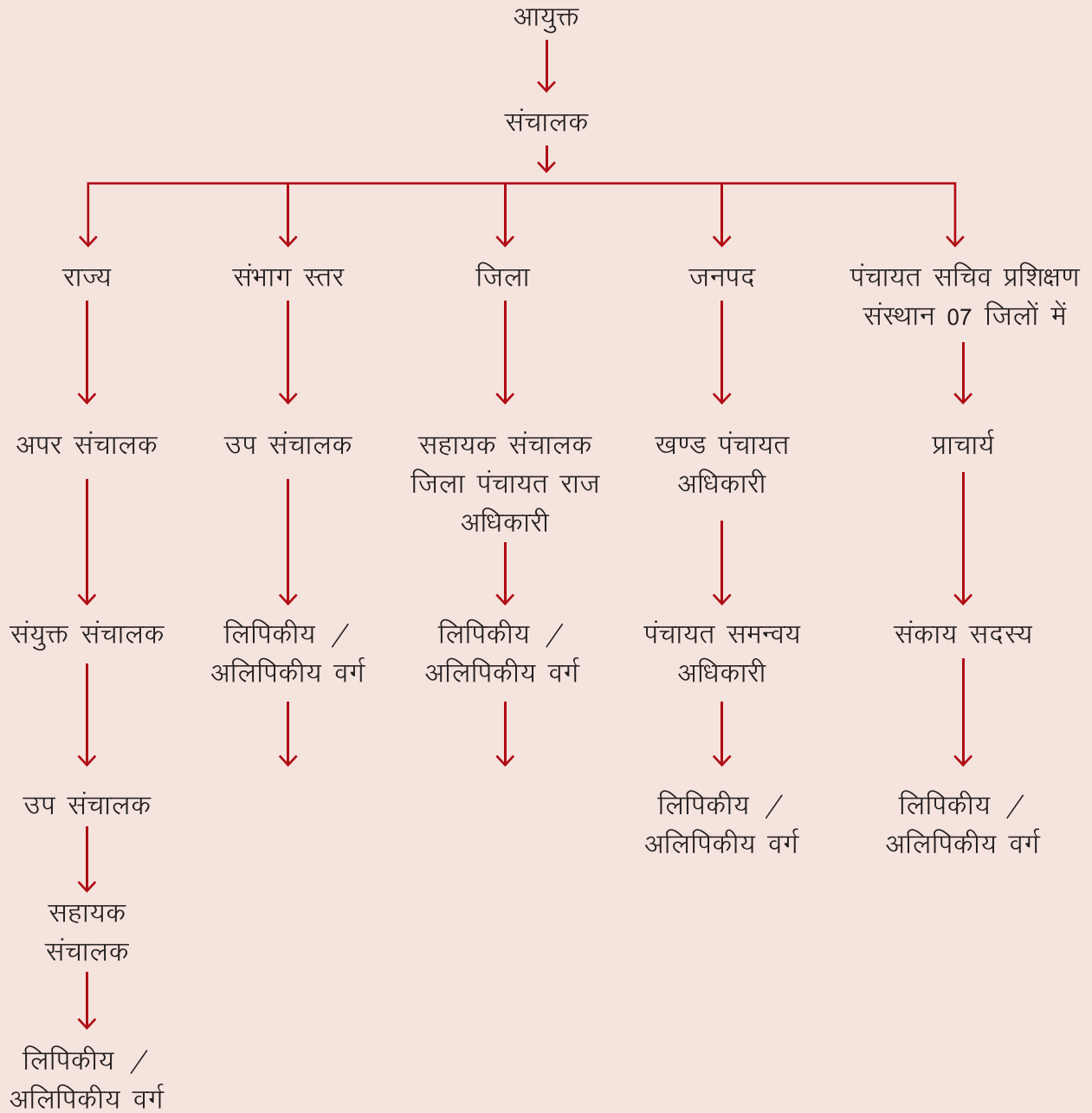
पंचायत

पंचायत राज संचालनालय

1. स्थापना अनुभाग

1. **संरचना** — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** — भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायत राज संस्थाओं के पंचम सामान्य निर्वाचन शांति पूर्ण ढंग से नियत अवधि में सम्पन्न कराये गये। जिसमें प्रदेश की 51 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 22812 ग्राम पंचायतों में 3.85 लाख पदाधिकारी निर्वाचित हुए।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** — संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।
4. **संचालनालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण** — प्रदेश में 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान यथा शिवपुरी, नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल) इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा में संचालित है। इसके अतिरिक्त संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पचमढ़ी में संचालित है।
5. **दायित्व — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :-**
 1. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 2. ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 3. ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 4. पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 5. पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।

पंचायत राज संचालनालय की संरचना



2. डीआरडीए (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) शाखा

प्रस्तावना — जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के तहत पंजीकृत संस्था के रूप में किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 01.04.1999 से डी.आर.डी.ए प्रशासन योजना लागू /प्रारंभ करने के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्र. 12749 दिनांक 24.09.1999 के द्वारा जिला पंचायतों में डी.आर.डी.ए प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं।

योजना का उद्देश्य— भारत शासन एवं राज्य शासन की विकास की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन करना है।

कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण मध्यप्रदेश (इकाई) जिला पंचायत।

मानव संसाधन संरचना — वर्ष 2021-22 की स्थिति में डीआरडीए अंतर्गत प्रदेश में 1848 पद स्वीकृत, 717 पद भरे, एवं 1131 पद रिक्त है। स्वीकृत पदों की संरचना निम्नानुसार है:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2. परियोजना अधिकारी
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी
4. लेखाधिकारी
5. परियोजना अर्थशास्त्री
6. सहा. परियोजना अधिकारी
7. तकनीकी सहायक
8. सहायक सांख्यिकी अधिकारी
9. लेखापाल
10. सहा. ग्रेड-1 / सहा. अधीक्षक / मुख्य लिपिक
11. स्टेनोग्राफर / स्टेनो टायपिस्ट
12. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
13. सहा.ग्रेड-2 / सहा.ग्रेड-3
14. वाहन चालक
15. भृत्य
16. चौकीदार

वित्तीय उपलब्धि :- डीआरडीए योजनान्तर्गत वेतन भत्तों पर केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 अनुपात में व्यय प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश रुपये 404.44 लाख प्राप्त है तथा राज्यांश रुपये 4170.49 लाख कुल राशि रुपये 4574.73 लाख प्राप्त हुयी जो व्यय की गई है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2022 से डीआरडीए प्रशासन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

3. पंचायत अनुभाग

1. योजना का नाम – पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–

भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पुरस्कृत करता है। मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए वर्ष 2021 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं निम्नानुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है –

1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

1.1 जिला पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 50.00 लाख)

- (i) जिला पंचायत सागर
- (ii) जिला पंचायत बैतूल

1.2 जनपद पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 25.00 लाख)

- (i) जनपद पंचायत जावरा जिला रतलाम
- (ii) जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर

1.3 ग्राम पंचायत स्तर (जनसंख्या के अनुसार रुपये 05.00 लाख से 15.00 लाख तक पुरस्कार राशि)

- (i) ग्राम पंचायत पवार चौहान जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी
- (ii) ग्राम पंचायत जेतापुरकला जनपद पंचायत बलडी जिला खण्डवा
- (iii) ग्राम पंचायत सोनगांवखुर्द जनपद पंचायत बलडी जिला खण्डवा
- (iv) ग्राम पंचायत डोडाका जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया
- (v) ग्राम पंचायत भैसोदा जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल
- (vi) ग्राम पंचायत मेहतबाडा जनपद पंचायत आष्टा जिला सीहोर
- (vii) ग्राम पंचायत सावन जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच
- (viii) ग्राम पंचायत सिंहोदा जनपद पंचायत शाहपुरा जिला जबलपुर
- (ix) ग्राम पंचायत बघवारी जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी
- (x) ग्राम पंचायत कुंडा जनपद पंचायत धरमपुरी जिला धार
- (xi) ग्राम पंचायत बिलखारवा जनपद पंचायत शहपुरा जिला जबलपुर

2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

2.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 10.00 लाख)

- (i) ग्राम पंचायत निपानियासूखा जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल

3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

3.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 05.00 लाख)

- (i) ग्राम पंचायत शिवपुर जनपद पंचायत सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

4. बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

4.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 05.00 लाख)

- (i) ग्राम पंचायत पवार चौहान जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी

4. निर्माण शाखा

संचालनालय की निर्माण शाखा द्वारा योजना क्रमांक –4610 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद की राशि से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

पंचायत राज संचालनालय द्वारा माह अप्रैल 2021 से माह फरवरी 2022 तक कुल 119 निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच, सी.सी.रोड, पुलिया निर्माण, चबूतरा निर्माण) लागत राशि रुपये 640.00 लाख के स्वीकृत किये गये हैं।



जिला गुना के बमौरी विकासखण्ड में पुलिया निर्माण कार्य का लोकार्पण करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



जिला गुना के बमौरी विकासखण्ड में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

5. बजट शाखा

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने तथा राशियों के त्वरित अंतरण के उद्देश्य से विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2000-2001 से विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि शासन के निर्देशानुसार बजटीय प्रावधान के अंतर्गत मांग संख्या-15, 52, 62 एवं 74 में बजट उपलब्ध कराया जा रहा था।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर का अंतर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 से उपरोक्त मांग संख्या के आधार पर मांग संख्या 62 एवं 53 में तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से केवल मांग संख्या-62 के अंतर्गत विभाग में संचालित समस्त योजनाओं का बजट विभाग को बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2021-2022

बजट

पंचायत सेक्टर

(राशि लाख में)

विवरण	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 28 फरवरी, 2022 की स्थिति में)
सामान्य	343153.57	194913.12
अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सबस्कीम)	106786.55	53838.96
अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम)	76779.19	40105.41
योग	526719.31	288857.49

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं का योजनावार विवरण:-

(राशि लाख में)

स.क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 28 फरवरी, 2022 की स्थिति में)
1	2	3	4
1	2467-पंचायत संचालनालय	650.70	558.81
2	2468-पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	85.71	74.57
3	2474-पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	20818.72	15890.72
4	4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढ़ी को अनुदान	55.00	55.00
5	0647-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	17000.00	7695.58
6	8775-प्रशासन योजना जिला स्तर (डी.आर.डी.ए.)	6000.00	4574.93

स.क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 28 फरवरी, 2022 की स्थिति में)
7	9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	294400.00	147200.00
8	4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	69999.98	13056.09
9	5166-राष्ट्रीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.01	0.00
10	5847-जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	500.00	500.00
11	6086-अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	1000.00	0.00
12	6087-अनुरक्षण हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	1000.00	17.09
13	6093-पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	3500.01	3500.00
14	6107-जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	400.00	398.63
15	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	59738.20	59632.19
16	6602-स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	100.00	0.00
17	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करो में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	32962.01	17297.51
18	8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	732.42	728.40
19	8214-सचिवीय व्यवस्था	17600.00	17590.78
20	8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार	0.03	0.00
21	8393-पंचायत गजट	89.33	0.00
22	8816-ग्राम सभाओं का सुदृढीकरण एवं सोशल आडिट	87.19	87.19
कुल योग		526719.31	288857.49

6. पंच परमेश्वर योजना

उपलब्धियाँ –

राशि के उपयोग हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकताएँ एवं सीमाएँ निर्धारित की हैं। पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंचायतों में 1472.00 करोड़ जारी किये गये हैं, जिनका उपयोग पंचायतों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा अनुसार किया जा रहा है।

ऑनलाईन क्रियान्वयन :-

पंच परमेश्वर योजना (15वां वित्त) अंतर्गत 14वें/15वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से ऑनलाईन व्यय की जाती है। भुगतान एफटीओ सरपंच (प्रधान) एवं सचिव के डीएससी द्वारा ऑथेंटिकेट होते हैं। अंतर्गत 2021–22 में पंचायतों द्वारा राशि रुपये 2026.82 करोड़ का व्यय किया है।

वर्ष 2021–22 (1 अप्रैल 2021 से फरवरी, 2022)

- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2021–22 से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय अनुदान की राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 60 प्रतिशत टाईड ग्रांट एवं 40 प्रतिशत अनटाईड ग्रांट अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों को सम्मिलित करते हुए विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की गई है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में पंचायतों द्वारा राशि रुपये 2026.82 करोड़ का व्यय किया है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना 2021–22 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने में प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी रहा है।
- समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा सबकी योजना सबका विकास अभियान अंतर्गत वर्ष 2022–23 की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना (GDPD) एवं (VPRP) की निर्माण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ



ग्राम का सामाजिक मानचित्रीकरण ग्राम पंचायत उपला



SHG व PRI कंवर्जेन्स के साथ ग्राम रुपारेल की GDPD कार्ययोजना निर्माण किया गया इसमे PRA पद्धति का उपयोग कर ग्राम के मुद्दे और प्राथमिकता तय की गयी



जन जागरूकता हेतु सामुदायिक मोबिलाइजेशन एवं आईईसी गतिविधियां ग्राम पंचायत जामली झाबुआ



SHG व PRI कंवर्जेन्स के साथ ग्राम रुपारेल की GPDP कार्ययोजना निर्माण

7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

संक्षिप्त परिचय—

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक केन्द्र वित्त पोषित योजना है जो कि पूर्व में योजना आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी जिसको वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित की जाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में क्रियान्वित है। पुनर्गठित आरजीएसए योजना में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि का उपयोग ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु विकेन्द्रीकरण एवं सहभागी नियोजन के माध्यम से किये जाने के उद्देश्य से “ग्राम पंचायत विकास योजना” के अवयवों को जोड़ा गया है, साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यकारी अमलों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों को भी समग्र रूप से शामिल किया गया है।

कार्य क्षेत्र— म.प्र. में सभी 51 जिलों में लागू हैं जिसमें विशेष रूप से त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के साथ साथ 13 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं, पेसा अनुसूचित क्षेत्र एवं संबद्ध अंतर्विभागीय अभिकरण व संस्थाएं शामिल हैं।

वित्तीय प्रावधान—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए केन्द्र वित्त पोषित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान है।

मुख्य उद्देश्य— योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न है।

योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत संस्थागत विकास करना है।

1. पेसा अनुसूचित क्षेत्र के जिलो जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।
2. पेसा एवं आकांक्षी जिलों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु अमला उपलब्ध कराना।
3. ग्राम पंचायतों में ई इनेबलमेंट की गतिविधियों का क्रियान्वयन, कम्यूनिटी सर्विस सेन्टर, पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना।

4. विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का संस्थागत संरचनागत विकास एवं उन्नयन करना।
5. आरजीएसए योजनांतर्गत आजीविका मूलक एवं नवाचार प्रकल्पों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

वित्तीय प्रगति (वर्ष 2021-22)

(राशि करोड में)

स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित राशि	आरंभिक शेष	केन्द्राश	राज्यांश	कुल प्राप्त	व्यय	उपलब्धि का %
2021-22	355.89	10.46	47.10	31.40	88.96	82.95	93.24

भौतिक प्रगति (वर्ष 2021-22)

- योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में विभिन्न ऑफ-लाईन/ऑनलाईन मोड से प्रशिक्षण सह क्षमता विकास अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबन्धित लगभग 3.50 लाख प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में पंचायत समिति के सदस्य, कार्यकारी अमला, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सीआरपी/एसएचजी के सदस्य एवं प्रतिनिधि आदि शामिल
- आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के मुख्य विषय जैसे – (1) थिमेटिक प्रशिक्षण– जीपीडीपी नियोजन, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), लैंगिंग संवेदीकरण, पीआरआई-एसएचजी कंवर्जेंस, स्वयं की आय, कार्यालय प्रबंधन, महिला शक्तिकरण, जल शक्ति अभियान (2) डिजिटल साक्षरता– सिटीजन चार्टर, सॉफ्ट स्किल्स, पोर्टल्स, ऑनलाईन बैंकिंग

क्र.	प्रशिक्षण विषय	प्रतिभागी
1	सिटीजन चार्टर	35470
2	करारोपण, आडिट ऑनलाईन, ओएसआर	45600
3	पीआरआई एसएचजी ट्रेनिंग	40854
4	सहभागी नियोजन प्रक्रिया – बीपीडीपी, डीपीडीपी एवं जीपीडीपी, पोर्टल	136446
5	जल शक्ति अभियान	11030
6	पंचायत कार्यालय प्रबंधन एवं अकाउंटिंग, पेसा ग्राम सभा	5125
7	महिला सशक्तिकरण, लैंगिंग संवेदीकरण, जेण्डर ट्रेनिंग, स्वास्थ्य एवं पोषण	25805
8	डिजिटल अवेयरनेस, ऑनलाईन बैंकिंग	23674
9	साफ्ट स्किल डवलपमेंट, आडिट आनलाईन, ऑनलाईन बैंकिंग, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल	14490
10	कोविड-19 नियंत्रण बचाव एवं पोस्ट कोविड प्रीकॉशन	11506
11	स्व-सहायता समूहों द्वारा नल-जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण	3500
	कुल योग	353500

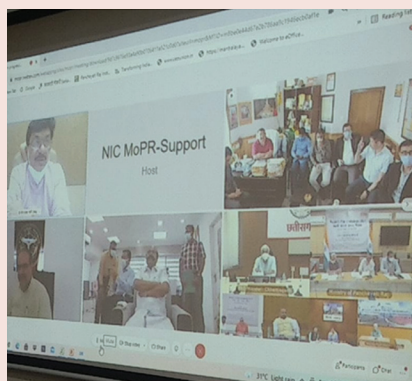
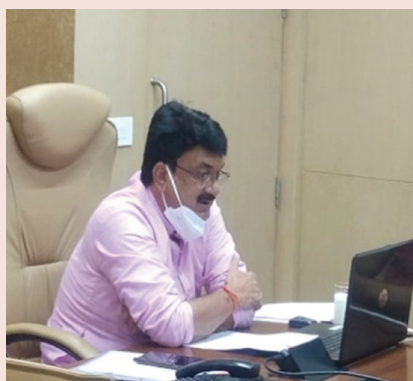
विशेष उपलब्धियाँ

योजनान्तर्गत क्षमतावर्धन हेतु आयोजित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

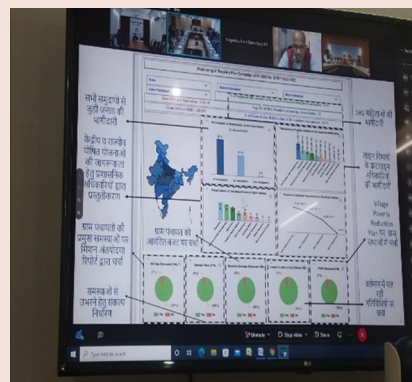
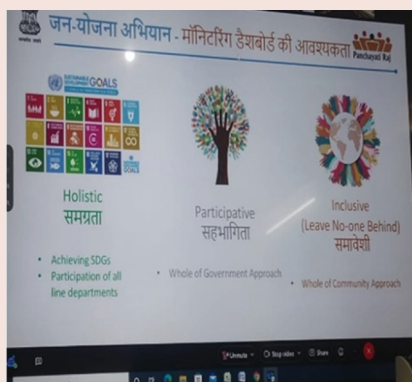
1. "सबकी योजना सबका विकास" जन योजना अभियान के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल में दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर 2021 को इन्डो गेन्जेटिक प्लेन में शामिल 6 राज्यों के लिये आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय जीपीडीपी कार्यशाला जिसमें लगभग 150 प्रतिभागी विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि एवं अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सियों एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहें।



2. सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान अंतर्गत भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय द्वारा माननीय श्री गिरिराज सिंह जी केन्द्रीय मंत्री पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय विमोचन कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा गरिमामयी सहभागिता एवं अभियान के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश की विशेष उपलब्धियों एवं सफलतम क्रियान्वयन के संबंध में उद्बोधन देते हुए।



3. भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ऑनलाईन वर्चुअल माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर तैयार किये गये प्रतिवेदन का विमोचन एवं जीपीडीपी प्रगति डैशबोर्ड के अनावरण एवं वर्चुअल प्रशिक्षण दिनांक 07.12.2021 में सहभागिता।



4. आरजीएसए योजनान्तर्गत विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण रणनीति का रोडमैप तैयार करने के संबंध में बैठक का आयोजन दिनांक 26.10.2021



5. "सबकी योजना सबका विकास" जन अभियान अंतर्गत दिनांक 11.01.2022 को प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में सबकी सहभागिता से समग्र जीपीडीपी निर्माण एवं सतत विकास के लक्ष्यों का एकीकरण हेतु संबंधित लाईन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजन जिसमें संचालक, पंचायत राज संचालनालय, आयुक्त, मनरेगा परिषद, राज्य कार्यक्रम अधिकारी एमबीएम, संचालक, ग्रामीण रोजगार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसआरएलएम सहित महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि एवं पशुपालन आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा बैठक में उपस्थित होकर अपने सुझाव दिये गये।



6. पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आंकलन (टी.एन.ए) पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 नवम्बर 2021



7. "सबकी योजना सबका विकास" अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के लिये कार्ययोजना तैयार करने विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11 अक्टूबर 2021



8. महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर में ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स का प्रशिक्षण



9. क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के द्वारा जिले के पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों का स्वकराधान पर दिनांक 19.01.2022 को आयोजित प्रशिक्षण



10. संजय गांधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी के द्वारा दिनांक 19.01.2022 को जिला बैतूल के प्रतिभागियों का ई-ग्राम स्वराज व अन्य महत्वपूर्ण पोर्टल पर तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन

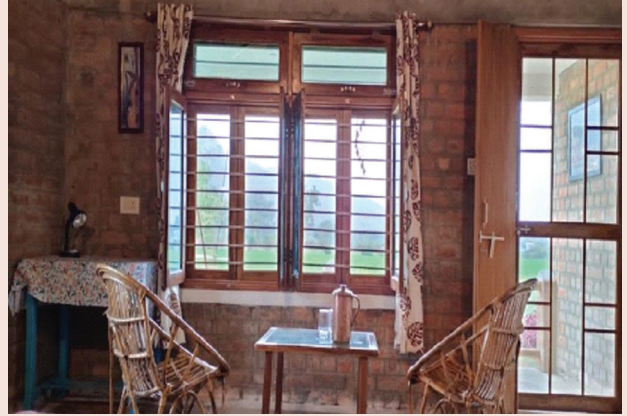


11. "आर्थिक विकास एवं आय संवर्धन मूलक" विशेष प्रकल्प

विशेष नवाचार सपोर्ट हेतु ग्रामीण समुदाय पर्यटन विकास से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार"

Strengthening life of rural community through Rural Tourism for innovation support under Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA)" - Phase-I

- प्रोजेक्ट लागत – 2.04 करोड़ एवं अवधि 3 वर्ष
- एजेन्सी- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
- मुख्य उद्देश्य- चयनित ग्रामों में सामुदायिक आधारित ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय स्तर पर ग्रामीण समुदायों को वैकल्पिक आर्थिक विकास एवं आजीविका मूलक अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 130 होम स्टे का विकास करना हैं।
- पायलेट क्षेत्र – 09 जिलों की 21 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 23 ग्राम चयनित
- हितग्राही हिस्सेदारी – चयनित हितग्राही द्वारा कुल लागत राशि की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत एवं आरजीएसए योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता 40 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख
- होमस्टे का निर्माण की प्रगति – हितग्राही चिह्नित-124, निर्माण पूर्ण – 23, निर्माण प्रगतिरत – 38



- प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा के समीप स्थित ग्राम लदपुरा खास जिला- निवाड़ी में संचालित सामुदायिक पर्यटन आधारित होम स्टे
- वर्ष 2021-22 के लिये 'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' (UNWTO) द्वारा देश के 'उत्कृष्ट ग्रामीण पर्यटन ग्राम' अवार्ड के लिए भारत सरकार से नामित किया गया था जो कि भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ ग्रामों से एक था।
- 'वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (डबल्यूटीएम) लंदन 2021 में आयोजित Responsible Tourism अवार्ड अंतर्गत भारतीय उप-महाद्वीप में गोल्ड अवार्ड एवं ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- 'खजुराहो एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ग्राम मदला जिला- पन्ना में संचालित होम स्टे
- 'संजय राष्ट्रीय उद्यान जिला- सीधी के समीप स्थित ग्राम खोखरा में संचालित होम स्टे



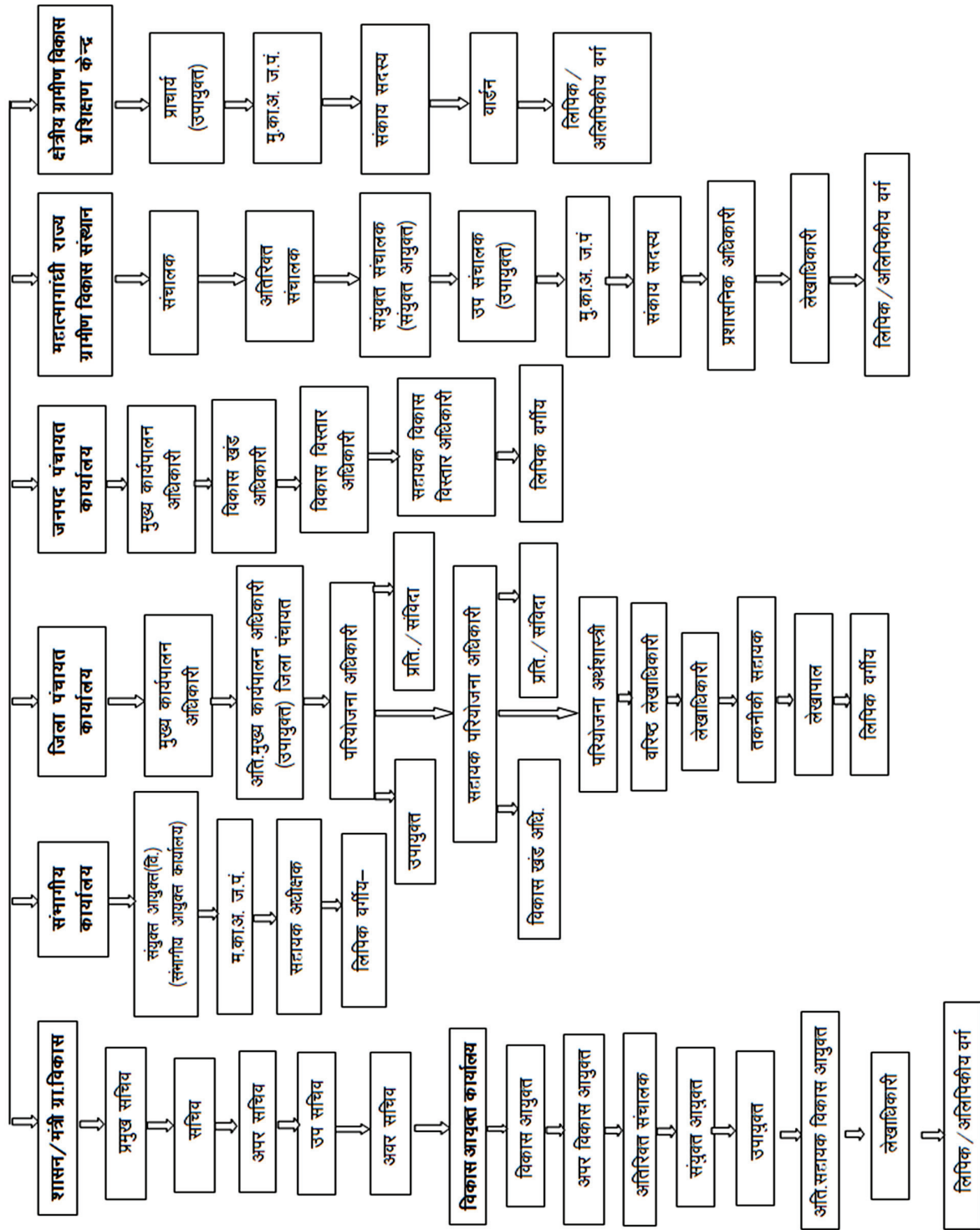
8. सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना** — सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना “स्वराज” को “सुराज” में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य** —
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा —
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
 2. अधिकतम उत्पादकता
 3. बेहतर मानव विकास
 4. बेहतर आजीविका के अवसर
 5. असमानता में कमी
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत
5. **भौतिक उपलब्धि** —
 1. 01 अप्रैल 2021 से माह फरवरी 2022 तक 03 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
 2. वर्तमान में SAGY-II अंतर्गत प्रदेश में कुल 39 ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

खण्ड – दो

ग्रामीण विकास

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना



विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण

(विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत राज्य स्तर का अमला)

1/ स्थानांतरण (01 अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक)

क्र.	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त	पदस्थापना
1	उपायुक्त (वि.)	29	0	3	0
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	56	2	8	0
3	विकास खंड अधिकारी	59	1	4	0
4	विकास विस्तार अधिकारी	2	0	0	0
5	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	19	1	1	0

2/ नियुक्तियों

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 00
 (2) विकास खंड अधिकारी — 00

3/ विभागीय जांच
 (मुख्यालय स्तर पर)

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 03
 (2) विकास खंड अधिकारी — 00

4/ न्यायालयीन प्रकरण

(मुख्यालय स्तर पर) कुल 163 न्यायालयीन प्रकरण है।

- (1) रिट पिटीशन (WP) के कुल 154 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 142 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत।
 (2) अवमानना (CP) प्रकरण के कुल 09 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 09 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत।

वर्ष 2021-22 हेतु प्रावधानित राशि आवंटित राशि एवं व्यय राशि दर्शाने वाला पत्रक

ग्रामीण विकास विभाग- 5802

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 का व्यय	वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 03/03/2022)
	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें					
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (60:40)	30	6836	45500.00000	60500.00300	38921.05729
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	30	5198	543482.50800	450000.00300	386554.72500
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (75:25)	30	6923	355249.36576	460000.00300	223866.80091
4	स्वच्छ भारत अभियान (60:40)	30	5206	34993.48000	50000.00300	21050.48333
5	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (60:40)	30	6931	100067.00000	120067.00300	100067.00000
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किचिन शेड मरम्मत एवं किचिन डिवाइसेज रिप्लेसमेंट (60:40)	30	'0656	0.00000	2552.23100	0.00000
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड)(60:40)	30	6099	0.00000	6100.00300	0.00000
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन)(100%)	30	7886	5000.00000	5500.00000	5500.00000
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज)(100%)	30	'0656	0.00000	447.77000	0.00000
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (60:40)	30	5770	20000.00000	20000.00300	10749.70000
7	(बुंदेलखंड पैकेज) अति. केन्द्रीय सहायता	61	6109	0.00000	2240.00100	0.00000

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 का व्यय	वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय/ आवंटित राशि (दिनांक 03/03/2022)
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (60:40)	30	7467	252500.00000	292500.00400	262683.85925
9	'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन (60:40)	30	'0660	5625.00000	5626.00300	0.00000
	योग केन्द्र प्रवर्तित योजनायें			1362417.35376	1475533.03000	1049393.62578
	राज्य स्तरीय योजना					
1	म.प्र.ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	4000.00000	0.03000	0.00000
3	ग्रामीण सड़क विकास प्राधि. (अनुरक्षण)	30	9216	25072.44000	35000.00000	32380.00000
4	प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़को का नवीनीकरण व उन्नयन (अनुरक्षण मद) (नवीन)	30	9216	15000.00000	50000.00000	50000.00000
5	विकास खण्ड कार्यालय	30	1033	12660.45716	15952.27000	10630.61833
6	विकास आयुक्त	30	3926	1191.08407	1323.89000	1159.47026
7	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र	30	1166	320.00000	320.00000	320.00000
8	राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान	30	1214	100.60000	113.13000	113.13000
9	कार्यालय भवनों का निर्माण/ विधुतिकरण आदि	30	1032	173.94640	200.00000	122.65512
11	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	30	8711	640.00000	640.00000	640.00000
12	आरजीएम परिषद	30	5568	211.00000	211.00000	211.00000
13	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दुग्ध प्रदाय योजना	30	1329	4500.00000	4500.00000	1424.57130
14	म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	30	6930	570.00000	670.00000	670.00000

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 का व्यय	वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय/ आवंटित राशि (दिनांक 03/03/2022)
15	राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यो.	30	5127	220.00000	0.01000	0.00000
17	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	30	5565	160.00000	160.00000	160.00000
18	मध्याह्न भोजन परिषद	30	5566	80.00000	0.01000	0.00000
19	मुख्यमंत्री आवास मिशन	30	6255	39333.00000	42600.00000	36967.00000
20	विकास भवन	30	7251	621.99409	1000.00000	82.15491
21	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना	30	7571	160.00000	0.00000	0.00000
22	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	30	2368	145.49600	0.01000	0.00000
23	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	0.00000	0.03000	0.00000
24	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	30	2372	0.00000	0.01000	0.00000
25	ग्रामीण पथ व्यवसाई उत्थान	30	9856	500.00000	1986.00000	1986.00000
26	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (विदेशी सहायता)	59	'0654	36160.00000	60200.00000	54000.00000
	योग (राज्य स्तर)			141820.01772	214876.39000	190866.59992
	महायोग			1504237.37148	1690409.42000	1240260.22570
	प्रमुख अभियंता ग्रा. या. सेवा- 5803					
1	मुख्यमंत्री ग्रा. सड़क एवं अवसं. रचना योजना	30	6084	13130.35819	13600.00000	6994.31484
2	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	30	1208	17236.16393	20628.49000	15868.23266
	प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-5803- योग			30366.52212	34228.49000	22862.54750
	महायोग (5802+5803)			1534603.89360	1724637.91000	1263122.77320

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

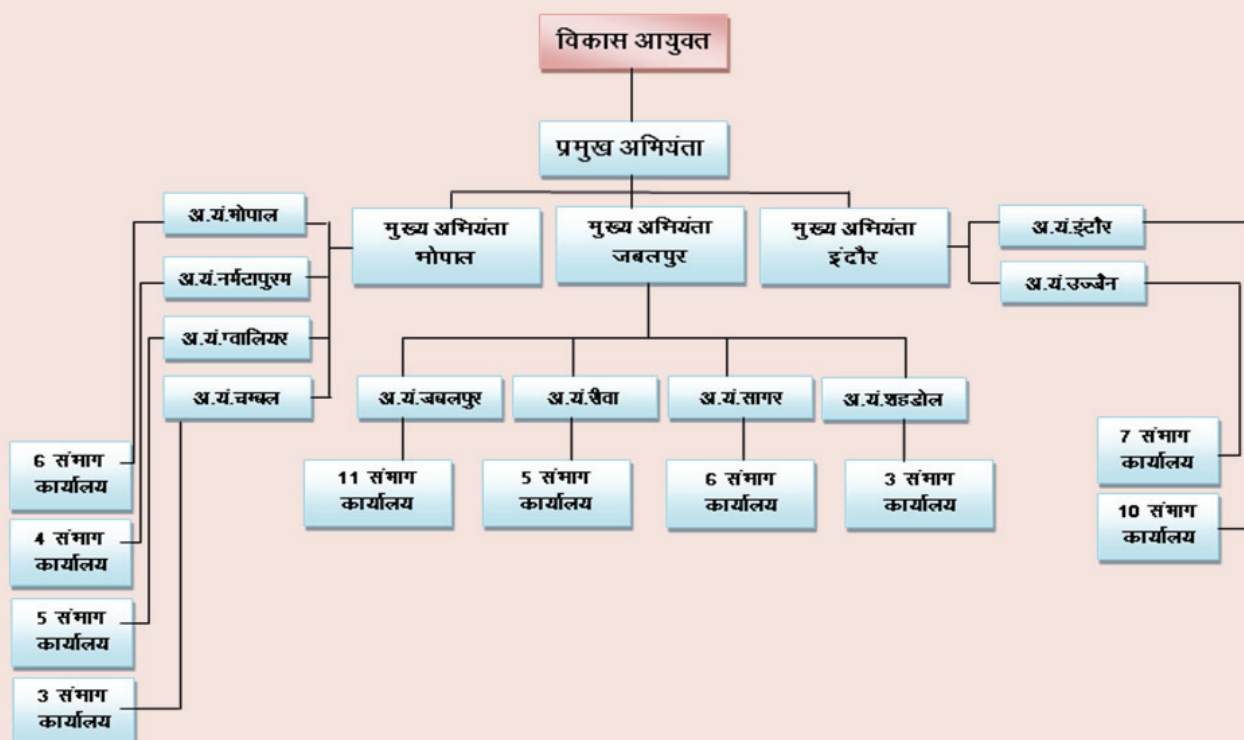
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रु. 15 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस प्रकार दो मुख्य दायित्व हैं:

- प्रथम दायित्व के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- द्वितीय दायित्व के रूप में विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत है। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। जनपदों में एवं उपसंभागीय कार्यालयों हेतु 643 सहायक यंत्रियों के पद निर्मित हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सम्पादित कार्य : ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है।

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।



कार्य का स्वरूप :-

प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 8,750 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए 19,723 कि.मी. लंबाई की 8523 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :-

योजनान्तर्गत फरवरी 2022 तक 8,258 सड़कें लंबाई 19,014 कि.मी. पूर्ण की गई, पूर्ण सड़कों से 8423 ग्राम लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी 2022 तक 105 सड़कें, लंबाई 253 कि.मी. पूर्ण की जाकर रु. 68.56 करोड़ का व्यय किया गया है।

आगामी कार्य योजना :-

मंत्री समूह की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर तथा नवीन घोषित 1,592 सम्पर्क विहीन राजस्व ग्रामों में से सामान्य क्षेत्र में 250 से 499 जनसंख्या के 329 ग्राम तथा आदिवासी विकासखण्डों में 250 से 100 जनसंख्या वाले 70 ग्रामों को चयनित कर बारहमासी सड़क से एकल सम्पर्कता प्रदान किये

जाने हेतु कार्ययोजना का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है तथा इन सड़कों के डीपीआर तैयार कराये जाकर सड़कों के निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित की गई ग्रेवल सड़कों में से 10,000 कि.मी. सड़कों के डामरीकृत स्तर तक उन्नयन का कार्य वर्ल्ड बैंक (MPRCP) की सहायतित राशि से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। स्वीकृति अनुसार MPRCP योजना अंतर्गत ग्रेवल से डामरीकरण का आगे कार्य किया जाना शेष नहीं है। ग्रेवल सड़कों के सर्फेस में प्रत्येक वर्ष 25 एमएम का छरण होता है तथा आवश्यकतानुसार चार वर्ष में रीग्रेवलिंग की आवश्यकता होती है। आवश्यकतानुसार योजना में निर्मित की गई सड़कों में से 5,000 कि.मी. लंबाई की 2,040 ग्रेवल सड़कों में मनरेगा के अभिसरण से पीरियोडिकल रिग्रेवलिंग (मजबूतीकरण) करने हेतु कार्य योजना तैयार की जाकर राशि रु. 130 करोड़ मनरेगा से एवं राशि रु. 93 करोड़ राज्य मद से इस प्रकार कुल राशि रु. 223 करोड़ व्यय किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इन सड़कों में से 2695 किमी की 1121 सड़कों में मनरेगा के अभिसरण से पीरियोडिकल रिग्रेवलिंग हेतु राशि रु. 121.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्य प्रारंभ कराये जा रहे हैं।

2. विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर का निर्माण :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में “विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर” भवन का निर्माण कार्य किया जावे।



शासन ने उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। इस भवन के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रु. 53.38 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.05.2012 को प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए वास्तुविद सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था एफ्को द्वारा प्रदान की गई हैं। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जिस पर फरवरी 2022 तक राशि रु. 58.52 करोड़ व्यय किया जा चुका है। भवन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 78.40 करोड़ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

यह योजना भारत सरकार द्वारा “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को संपूर्ण वित्त वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा करना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस काम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन।

योजना के पात्र :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया :

- इच्छुक परिवारों का ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होगा।
- पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी।
- जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना के तहत मजदूरी :

- केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत “जितना काम उतना दाम” के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत प्रतिवेदित वर्ष में 193.00 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2021 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

बेरोजगारी भत्ता नियम 2021

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत प्रावधानित बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया हेतु ‘बेरोजगारी भत्ता नियम 2021’ प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद :

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 18.01.2006 को पंजीकृत की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन, संचालन और मूल्यांकन के लिए तीन समितियां गठित की गई हैं।

- सामान्य सभा
- सशक्त समिति
- कार्यकारिणी समिति

सामान्य सभा :- अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार तैयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की राज्य स्तरीय सामान्य सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे:-

सामान्य सभा



अध्यक्ष

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन



उपाध्यक्ष

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास



पदेन सदस्य

मंत्री—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन, **उपाध्यक्ष**—राज्य योजना मण्डल, **मुख्य सचिव**—मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख **सचिव**—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन



सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास



सदस्य

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद



नामांकित सदस्य

राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य (कम से कम 2 महिलाएँ)
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि—1, अनु.जाति—1, अनु.जनजाति—1, अन्य
पिछड़ा वर्ग—1, अल्पसंख्यक—1, गैर शासकीय संगठन—1 का प्रतिनिधि



सशक्त समिति : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय सशक्त समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :-

सशक्त समिति



अध्यक्ष

मुख्य सचिव



सदस्य

कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव—वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना विभाग, आयुक्त मनरेगा, आयुक्त जनसंपर्क, आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, केन्द्र शासन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि



सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

कार्यकारिणी समिति :- म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 960/एनआर-2/एमजीएनआरईजीएस/भोपाल, दिनांक 01.02.2013 द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। यह समिति सामान्य सभा एवं सशक्त समिति के अतिरिक्त है, जिसका गठन योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजनाओं में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है।

परिषद की एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

कार्यकारिणी समिति



अध्यक्ष

मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य

राज्य मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



सदस्य

प्रमुख सचिव— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, **सचिव**—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, **आयुक्त**—पंचायत, मुख्य कार्यपालन **अधिकारी**—म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, **संचालक**—राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, **संचालक**—ग्रामीण रोजगार, **परियोजना समन्वयक**—इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना (DPIP), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), **संचालक**—महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)— मनरेगा, संचालक—जन शिकायत एवं गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ मनरेगा, **मुख्य अभियंता**—मनरेगा, **मुख्य अभियंता**—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, **संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)**—मनरेगा



सदस्य सचिव

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

उपयोजनाएँ :

हितग्राही मूलक :

(अ)हितग्राही मूलक योजनाएँ :- योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराने हेतु निम्न उपयोजनाएं लागू हैं :-

- 1. हितैषी कपिल धारा :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित डिजाइन के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत नवीन कूप निर्माण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निजी भूमिधारी पात्र हितग्राही के पास न्यूनतम 1.0 एकड़ भूमि आवश्यक है।
- 2. खेत तालाब :-** मनरेगा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कृषकों के निजी खेत में सिंचाई एवं भू-जल रिचार्जिंग के लिये खेत तालाब निर्माण हेतु 400 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 0.43 लाख, 1000 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 1.11 लाख तथा 3,600 घन मी. जल क्षमता के 3.37 लाख रु. लागत के खेत तालाब बनाये जाने का प्रावधान है।



महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित खेत तालाब जिला नरसिंहपुर

3. **नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट** :- मनरेगा योजना अंतर्गत बायोमास को उच्च गुणवत्ता वाले कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिये नाडेप प्रभावी तरीका है। इसके लिये 4.0m x 1.50m x 1.0m में ईट की जालीदार चिनाई का प्रावधान रखा गया है, वर्मी कम्पोस्ट पिट हेतु (जैविक खाद तैयार करने) 3.60m x 1.50m x 0.76m का प्रावधान रखा गया है।
4. **गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु** :- मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है। योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों की अनुसूची में आजीविका व पशुपालन संबंधी कार्य शामिल किये गये हैं, जिसके अंतर्गत गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु लागत 0.64 लाख, गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 10 पशु हेतु लागत 1.03 लाख, बकरी पालन हेतु शेड निर्माण लागत राशि रु 0.47 लाख रु., कुक्कुट पालन हेतु शेड निर्माण लागत राशि रु 0.52 लाख निर्धारित की गई।
5. **निजी खेत में फलोद्यान** :- इस योजना के तहत नरेगा जाबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, IAY / PMAY के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी हक प्रमाण धारक एवं लघु व सीमान्त कृषक) के खेतों में फलोद्यान परियोजना का कार्य किया जा सकेगा। जिसमें निजी खेतों में ब्लॉक प्लान्टेशन 400 पौधा प्रति एकड़, लागत 1.71 लाख, 250 पौधा प्रति एकड़ हेतु लागत 1.44 लाख और 100 पौधा प्रति एकड़ हेतु लागत 1.18 लाख निर्धारित की गई।



महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित फलोद्यान जिला - टीकमगढ़

6. **प्रधानमंत्री आवास योजना** :- प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों में अकुशल श्रमिक अंश की पूर्ति मनरेगा से किये जाने के निर्देश हैं। प्रदेश के आई.ए.पी. जिलों में 95 दिनों की मजदूरी तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है।

7. **वनवासी संवर्धन** :- वनवासी संवर्धन सुदूर वन अंचलो में निवास करने वाले वन अधिकार अधिनियम के वनाधिकार प्रमाण-पत्र धारक ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ देने हेतु “वनवासी संवर्धन” उपयोजना निर्मित की गई है। मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टाधारी एवं जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 150 मानव दिवसों के रोजगार पाने की पात्रता है।
8. **जय किसान उपयोजना** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की बंजर/ पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु जय किसान उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5082 दिनांक 25/11/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं।
9. **बोल्डर चेकडेम** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संचयन हेतु बोल्डर चेकडेम का प्रावधान किया गया है। जिसका आकार 10.0m x 4.50m + 0.50/2 x 1.0m एवं जिसकी लागत 0.09 लाख रुपये निर्धारित है।



महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित बोल्डर चेकडेम – शिवपुरी

10. **वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर खेतों में सिंचाई की सुविधा हेतु वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण का प्रावधान किया गया है।
11. **रिचार्ज पिट** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संरक्षण एवं संवर्धन अंतर्गत रिचार्ज पिट का प्रावधान है, जिसका आकार 3.0m x 3.0m x 3.0m एवं लागत 0.18 लाख रुपये है।

समुदाय मूलक :

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों/योजनाओं के अभिसरण से निम्नानुसार सामुदायिक विकास कार्य कराये जाते हैं :-

1. **शैल-पर्ण** :- उपयोजना ग्रामीण क्षेत्रों की वनस्पति विहीन पहाड़ियों के उपचार से संबंधित है। उपयोजना के तहत ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी एवं पशुचारा पत्ती उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण, चारागाह विकास के लिये वर्षा जल व मिट्टी के बहाव को रोकने पहाड़ियों पर छोटे-छोटे डबरों का निर्माण, नालियों पर पत्थरों के अवरोधक (बोल्डर चेक) व पहाड़ी की तलहटी पर पशु अवरोधक खंती निर्माण आदि के कार्य कराये जाते हैं।
2. **निर्मल नीर** :- प्रदेश में पेयजल की कठिनाई के दृष्टिगत पेयजल कूप के निर्माण हेतु तीन डिजाइन के मानक निर्धारित हैं। आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 12 मी. हेतु लागत रु. 4.46 लाख एवं आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 15 मी. हेतु लागत रु. 5.35 लाख, (प्लेटफार्म, जगत, सोकपिट, ड्रेन घिरनी सहित) निर्धारित की जाती है।

3. **ग्रामीण क्रीड़ांगन** :— ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का उद्देश्य दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से है। इसमें खेल मैदान विकसित किये जा सकते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्राप्त हों। दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से खेल मैदान विकसित करने की मानक लागत रु. 32 प्रति वर्ग मी. तथा बैठक व्यवस्था एवं मूत्रालय निर्माण हेतु लागत रु. 33 हजार निर्धारित की गयी है। यह भी निर्देश है कि मैदान का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर से कम न हो।
4. **शांतिधाम** :— शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 2000 से कम या अधिक पद क्रमशः एक एवं दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जावे। जिसके लिये क्रमशः रु. 1.92 लाख एवं रु. 2.80 लाख की राशि मानक लागत अनुसार निर्धारित है। शांतिधाम/कब्रिस्तान हेतु केवल पक्का चबूतरा शेड निर्माण सी.पी.टी. निर्माण कराया जावे, चारो ओर वृक्षारोपण कराया जावे। पानी की व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प एवं सतही टंकी के लिये मानक लागत रु. 1.00 लाख नियत की जाती है, जिसे सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान पंचायत मद से आय अथवा जनसहयोग से प्राप्त की जा सकती है।
5. **बारहमासी सड़क सम्पक्रता** :
 - 5(a) **आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क/पथ निर्माण** :— ग्रामों में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण से नाली निर्माण किया जाता है। आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क 3 मी. चौड़ाई तथा नाली निर्माण हेतु मनरेगा से 15 प्रतिशत अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
 - 5(b) **सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना** :— महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम एवं टोले मजरे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के छूटे हुये ग्राम, मजरा-टोला, एप्रोच रोड खेत समूह को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना के तहत बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये प्रावधान किया गया है।
6. **भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन)** :— विभाग के पत्र क्र. 406/सी.एफ.सी./2021/दिनांक 25.05.21 के अनुसार मनरेगा अभिसरण अंतर्गत 15वे वित्त आयोग अंतर्गत अनाबद्ध राशि से पंचायत भवन निर्माण के निर्देश जारी किये गये हैं (अनूपपुर, भोपाल, नीमच, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी को छोड़कर)। जिसकी मानक लागत रुपये 20.00 लाख निर्धारित है। जिसमें 10.00 लाख रु. मनरेगा अंश एवं 10.00 लाख रु. राज्य वित्त आयोग से अभिसरण अंतर्गत लिये जाने का प्रावधान है। मनरेगा से अभिसरण की दशा में नरेगा अंश के लिए ग्राम पंचायत स्वीकृति जारी करेगा तथा शेष राशि अभिसरण से प्राप्त की जावेगी।
7. **आंगनवाड़ी भवन** :— महिला एवं बाल विकास/परफारमेंस ग्रांट अभिसरण से भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु (आंगनवाड़ी भवन बगैर बाउण्ड्रीवाल) मानक लागत रु. 7.10 लाख निर्धारित हैं। जिसमें मनरेगा अंश रु. 5.00 लाख है एवं महिला एवं बाल विकास का अंश 2.10 लाख रु. है। इसी तरह आंगनवाड़ी भवन बाउण्ड्रीवाल सहित की लागत 9.50 लाख रु. है, जिसमें मनरेगा अंश रु. 5 लाख रु. एवं महिला एवं बाल विकास का अंश रु. 4.50 लाख है।
8. **अनाज गोदाम** :— ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वितरण प्रणाली केन्द्रों पर, सहकारिता विभाग द्वारा चयनित स्थल पर अनाज भण्डार हेतु 100 मै.टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा की शत-प्रतिशत राशि से किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 11.93 लाख हैं।

9. **खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा (CAP) निर्माण** :- ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा (CAP) निर्माण किये जाने के सहकारिता व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 16/09/2020 को परिपत्र जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 500MT एवं 1500MT भण्डारण क्षमता के पक्के चबूतरे बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।



महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित अनाज चबूतरा जिला – बालाघाट

10. **प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन (NRM)** – इसके अंतर्गत पंचायत, जनपद एवं जिलों में विकास कार्यों पर स्वीकृति कुल राशि का 65% जल संवर्धन के कार्यों पर किया जाना प्रावधानित है।
11. **चंदेला/बुंदेला कालीन प्राचीन तालाबों की मरम्मत/जीर्णोद्धार** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विभाग के पत्र क्र. 8695 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार तालाब मरम्मत/जीर्णोद्धार के निर्देश जारी किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी व गुना के ऐसे प्राचीनकाल तालाब और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी और पन्ना जिले के ऐसे चंदेल कालीन व बुन्देलकालीन तालाबों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनकी जल भराव क्षमता कम हो गयी है।
12. **चारागाह व नर्सरी निर्माण** :- महात्मा गांधी नरेगा परिषद भोपाल के आदेश क्र. 11202 दिनांक 26.02.2019 द्वारा गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्र. 124 भोपाल दिनांक 06.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। गौशाला में उपलब्ध गौवंश को हरे चारे की माँग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण की परियोजना बनायी गयी है।
13. **किचन शेड कम डायनिंग हॉल** :- महात्मा गांधी नरेगा एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अभिसरण से निर्मित होने वाले किचन शेड सह स्टोर रूम के साथ डायनिंग हॉल निर्माण के संबंध में विभाग के पत्र क्र. 8106 दिनांक 24.02.2020 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी लागत टाइप-1, 25 छात्रों हेतु लागत 4.70 लाख रु. एवं टाइप-2, 50 छात्रों हेतु लागत 7.20 लाख रु. निर्धारित की गई।
14. **समूह के लिये SHG संघ भवन का निर्माण** :- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत समूह के लिये SHG/संघ भवन का निर्माण करने संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 2477 दिनांक 18/09/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत संचालित DAY NRLM के तहत गठित स्वसहायता समूहों की कृषि आधारित व खाद्यान भण्डारण संबंधी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिये तथा इनके कृषि व अन्य उत्पादों के विक्रय के प्रचार प्रसार हेतु SHG संघ भवन का निर्माण करने का प्रावधान है।
15. **शासकीय शालाओं में पहुंचमार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण** :- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय शालाओं में पहुंच मार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने संबंधी निर्देश आयुक्त मनरेगा एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र क्र. 5129 दिनांक 01/12/2020 के अनुसार जारी किया गया है।



महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित बाउण्ड्रीवॉल जिला – खण्डवा

- 16. गौचर भूमि विकास उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत गौचर भूमि विकास उपयोजना सामुदायिक चारागाह विकास के कार्य कराये जाने संबंधी आदेश विभाग के पत्र क्र. 5084 दिनांक 25/11/2020 संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्वसहायता समूह (SRLM एवं NABARD अंतर्गत गठित) के माध्यम से चारागाह विकास का निर्माण कार्य कराया जावेगा। चारागाह परियोजना का संचालन स्वसहायता समूहों/ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 17. महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से हितग्राही एवं समुदाय के लिये पोषण उद्यान (Nutri-Garden) का विकास :-** ग्रामीण परिवारों को पोषणयुक्त फल सब्जी की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से पोषण उद्यान विकसित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
- 18. सामुदायिक टांका निर्माण :-** प्रदेश के ऐसे ग्राम जिनमें ग्रीष्म ऋतु में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है उनमें पेयजल, विस्तार, पशुओं व पेड़ पौधों को पानी की परेशानी के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन हेतु सामुदायिक जल संचयन पोण्ड (टांका निर्माण) के निर्देश विभाग के परिपत्र क्र. 140/3/2020 दिनांक 14/05/2020 द्वारा जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चिन्हित ग्रामों में 50,000 लीटर एवं 1,00,000 लीटर क्षमता के टांका निर्माण किये जाने के निर्देश हैं।
- 19. बाल्मीकी मियावॉकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण :-** ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों के सघन सामुदायिक वृक्षारोपण के माध्यम से आजीविका सदृढीकरण हेतु विभाग के पत्र क्र.1616/3/2020 दिनांक 10/08/2020 से निर्देश जारी किय गये हैं। इसके तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 0.25 एकड़, 1 एकड़ एवं 1 हेक्टर क्षेत्र में क्रमश 1,000, 4,000 व 10,000 स्थानीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त प्राचीन प्रजातियों के पौधे/झाड़ियां/लताओं एवं औषधीय पौधे का रोपण किये जाने के निर्देश हैं।
- 20. जैविक बागड :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत जैविक बागड शासकीय स्कूलों, आंगनवाडी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अनाज गोदान, शासकीय मंदिर, तालाब के किनारे, शांतिधाम, खेल मैदान आदि परिसरों में लगाने हेतु विभाग के पत्र क्र.1618 दिनांक 10/08/2020 द्वारा जारी किये गये हैं।
- 21. ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव हेतु ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5656/3/2020 दिनांक 18/12/2020 से जारी किय गये हैं। जिसके अंतर्गत रु. 30 लाख की सीमा तक जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

- 22. मंदिर कुंज/नक्षत्र वाटिका :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर कुंज के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 57/3/2020 दिनांक 05/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत क्रमशः धर्मस्व/अध्यात्म विभाग के पंजीकृत मंदिर/धार्मिक स्थल जिनके पास वृक्षारोपण/ फलोद्यान परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध हो, ऐसे स्थलों पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- 23. मंदिर सरोवर उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर सरोवर उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 40/3/2020 दिनांक 02/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय देवस्थान मंदिर जिनके पास 15 हेक्टर से अधिक भूमि हो, ऐसे मंदिर सरोवर का निर्माण मंदिर के पुजारी/समिति के अनुशंसा के आधार पर कर सकते हैं।
- 24. गौशाला परियोजना :-** प्रदेश में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा व देखभाल हेतु गौशालाओं का निर्माण विभाग के पत्र क्र. 893 दिनांक 25.06.20 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें 100 निराश्रित गौवंश हेतु मनरेगा मद से 37.85 लाख रु. लागत निर्धारित की गई है। जिसमें बिजली पानी की व्यवस्था अभिसरण अंतर्गत होगी।
- 25. देवारण्य योजना :-** विभाग के पत्र क्र. 7145/MGNREGS/NR-1/2021 भोपाल दिनांक 26.11.2021 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा आयुष आधारित 'देवारण्य' योजना प्रारंभ की गई है। 'देवारण्य' के कार्य शासकीय व सामुदायिक भूमि और निजी भूमि पर क्रमशः "सामुदायिक गतिविधि" एवं "एकल गतिविधि" के रूप में किये जायेंगे।
- 26. पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण :-** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब चेकडेम तथा स्टॉपडेम के मनरेगा अंतर्गत परिणाम संयोजित (Outcome Linked) जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण और इसमें ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 10293/MGNREGS/NR-1/2021 भोपाल दिनांक 11.08.2021 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसका प्रमुख उद्देश्य इन जल संरचनाओं के भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं ग्रामीण समुदाय सिंचाई, मत्स्य उत्पादन एवं सिंचाई उत्पादन का आर्थिक लाभ ले सके।

पदस्थ अमला :- योजना क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार अमला पदस्थ है :-

क्र.	स्तर	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय), भोपाल	207	61	146
2.	संभाग स्तर पर	30	15	15
3.	प्रशिक्षण केन्द्र (ETC/SIRD)	06	01	05
4.	जिला स्तर पर	933	295	638
5.	जनपद स्तर पर	4,695	2,618	2,077
6.	ग्राम पंचायत स्तर पर	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक (अंशकालिक मानदेयी)	20,565	2,136

रोजगार की उपलब्धता :- (4 मार्च 2022 की स्थिति में)

- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2021-22 में 83.92 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों में से 63.44 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार हैं। वर्ष 2021-22 में 2811.33 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

- जिनमें से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 13 प्रतिशत मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 33 प्रतिशत मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 41 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं।
- वर्ष 2021-22 में 70083 निःशक्तजनों को महात्मा गाँधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2021-22

(4 मार्च 2022 की स्थिति में)

विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री एवं प्रशासनिक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	2,238.68
	1721.96	516.72	
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			5535.07
अंतिम शेष राशि (दिनांक 31.03.2021)			499.39
कुल प्राप्त आवंटन			8273.14
अन्य योजना को उधार वापसी की राशि			—
कुल व्यय राशि			7504.90

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS) :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 5226.73 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 2095.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि 7322.51 करोड़ रुपये हितग्राहियों/वेंडर के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि रु. 1212.31 करोड़ लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रचलन में है।

(स्रोत— NREGASoft – MIS Report दिनांक 4.03.2022)

योजनांतर्गत किये गये कार्यों का विवरण :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार बुनियादी कार्य कराए जाते हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में (4 मार्च 2022 की स्थिति में) कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 6.32 लाख एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 11.34 लाख है। ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का प्रकार	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
ग्रामीण अधोसंरचना विकास	10868	32122
भारत निर्माण सेवा केंद्र	184	455
सूखा रोधन	4418	22159
मछली पालन	117	268
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	1680	3126

कार्य का प्रकार	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
अनाज भण्डारण	17	28
भूमि विकास	17017	15102
सूक्ष्म सिंचाई कार्य	947	1050
खेल मैदान	220	211
पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	1108	6290
ग्रामीण संपर्क	29238	40535
ग्रामीण पेय जल	138	297
ग्रामीण स्वच्छता	13073	49700
जलसंरक्षण और जल संचयन	73969	126446
व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (क्षेत्री IV)	479753	836504
कुल	632752	1134314

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा साफ्टवेयर का उपयोग योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाईम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।
- राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS (National Electronic Fund Management) से किया जा रहा है।
- प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS : (Geographical Information System)

जियो मनरेगा

- जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) की भुवन मोबाईल एप्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटेलाइट मैप पर देखी जा सकती है। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा

पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- जियो मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम मस्टररोल जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

जीआईएस आधारित प्लानिंग

- प्रत्येक वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मनरेगा में अनुमत विभिन्न NRM (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) एवं Non NRM कार्य चिन्हित किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की GIS आधारित कार्य योजना बनाई जानी थी, जिसके पालन में 22,602 पंचायतों में GIS मैप तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही 21769 पंचायतों के वाटर बजट भी तैयार किए गए हैं।
- इस हेतु Google Maps एवं Bhuwan वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न नक्शे जैसे — Location map, Land-use land-cover map, Soil erosion map, Geomorphology map, Lineament map, Drainage map, Watershed boundary map, Hydrology map, Salt Affected map, Geo MGNREGA Asset Map आदि का उपयोग कर ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य चिन्हित किए गए। निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्य योजना बनाई जाकर उसे नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया गया।

SECURE Software :

- SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) का क्रियान्वयन मनरेगा योजना में 01 अप्रैल 2019 से मध्यप्रदेश में किया गया है। उक्तानुसार सॉफ्टवेयर से कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं कार्यों की स्वीकृति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नरेगा सॉफ्टवेयर में कार्य योजना में दर्ज कार्य प्राक्कलन हेतु SECURE पर कार्य उपलब्ध होंगे, उपयंत्री द्वारा कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जा रही है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों के डिजीटल प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, जिससे कार्य में पारदर्शिता के साथ ही काम त्वरित हो रहा है।

मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम :

भारत सरकार द्वारा मस्टर रोल पर समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य के क्रियान्वयन के स्थान पर ही मजदूरों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जा सकती है एवं कार्य का जियो टैग फोटो भी लिया जा सकता है।

मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया जा रहा है

सामाजिक अंकेक्षण (4 मार्च 2022 की स्थिति में) :

- वर्ष 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु लक्षित 22,777 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 22065 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की गई है, जो कि 98 प्रतिशत है।

वर्ष 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से 17592 मुद्दे प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त मुद्दों में से 6148 मुद्दे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निराकृत किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान राशि रु. 3,64,23,953/- (ऑफ लाईन) का दुरुपयोग होना पाया गया जिसमें से राशि रु. 2,16,75,416/- (ऑफ लाईन) की वसूली संबंधित जिला पंचायत द्वारा की गई है।



सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भौतिक, मौखिक एवं दस्तावेज सत्यापन

आजादी का अमृत महोत्सव—

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. J-11060/02/2021-RE-I E-375090 दिनांक 09.10.2021 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 02 सप्ताह तक जीआईएस बेस्ड प्लानिंग की जन-जागरूकता तथा 01 सप्ताह तक सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत आयोजित ग्राम सभाओं में रैली, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक चर्चा तथा दीवार लेखन के माध्यम से अमृत महोत्सव का प्रचार-प्रचार करते हुए जनभागीदारी के साथ प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव मनाया गया।



आजादी का अमृत महोत्सव



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

(1) परिदृश्य—

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” की शुरुआत हुई।
- मिशन की गतिविधियों के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।
- मिशन सभी जिलों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिशन का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन के समन्वयक राज्य कार्यक्रम अधिकारी है। जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सचिव है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 का उद्देश्य—

- वर्ष 2021-22 से योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समयावधि – वर्ष 2020-25, में प्रदेश के सभी ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें – सभी घरों/संस्थाओं से गीला एवं प्लास्टिक सहित सूखा कचरा संग्रहित किया जायेगा।
- जैविक ठोस अपशिष्ट (गीला कचरा) को ग्राम स्तर पर प्रबन्धित किया जाएगा
- ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई (PWMU) स्थापित होगी, जो नियमित अंतराल पर ग्रामों में एकत्र प्लास्टिक सहित अजैविक ठोस अपशिष्ट का उठाव कर इसे प्रबन्धित करेगी।
- प्रचुर मात्रा में गोबर उत्पन्नकर्ता स्थानों के लिए बायो-मीथेन संयंत्र द्वारा उर्जा उत्पादन का कार्य GOBAR-dhan स्कीम से किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय-संसाधन एस.बी.एम. (ग्रा.), 15वाँ वित्त-आयोग निधि की आबद्ध राशि, मनरेगा, पंचायत निधि से उपलब्ध होगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु ग्रामों के चयन में प्राथमिकता 2,000 से अधिक जनसंख्या/पर्यटन/धार्मिक/पेरी-अर्बन ग्रामों को दिया जायेगा जिससे ठोस अपशिष्ट कानून 2016-20 का परिपालन सुनिश्चित हो सके। इन सभी ग्रामों में वर्ष 2020 से 2022 तक तथा इसके पश्चात् शेष ग्रामों का प्रति वर्ष चरणबद्ध चयन किया जाकर यह प्रणाली स्थापित होगी।
- ग्राम स्तर तथा ब्लॉक/जिला स्तर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना एवं परिचालन में त्रि-स्तरीय पंचायती-राज संस्थाओं तथा महिला स्व-सहायता समूहों की संलग्नता को सुनिश्चित किया जाएगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम समुदाय की सहभागिता के लिए सतत सूचना-शिक्षा-संचार की गतिविधियाँ होंगी तथा सभी हितभागियों के क्षमता-वर्धन हेतु संस्थागत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(3) मुख्य घटक—

I. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग—

- भारत शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के उपरांत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 दिये जाने का प्रावधान है।
- स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित भी किया जाता है।
- प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं—
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - परिवार का मुखिया यदि महिला हो

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण —

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेस-2 अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त स्थिति के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिये 100 या 100 से अधिक घरों वाले ग्राम के ऐसे स्थानों जहाँ एससी/एसटी आबादी/गरीब बस्ती/प्रवासी/प्लोटिंग जनसंख्या है, वहाँ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
- स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए न्यूनतम लागत रुपये 3.00 लाख निर्धारित है जिसमें 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) मद से तथा 30% राशि 15वें वित्त से लिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतें ग्राम में उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रसाधन की संरचनाएँ निर्मित किये जाने हेतु अन्य स्रोतों से भी राशि सहयोजन कर सकती है।

III. ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन —

- स्वच्छ भारत मिशन फेस-2 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2020-25 तक ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता के स्थायित्व में योगदान देना है। इस हेतु मिशन अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक ईकाइयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

IV. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाइयों का निर्माण —

- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाइयों के निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाई को लागत राशि रुपये 16.00 लाख से निर्मित किये जाने का प्रावधान है।

V. गोबरधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन—

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत उर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट का उपयोग कर बायोगैस एवं खाद निर्मित करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक जिले में गोबरधन की आदर्श परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

VI. आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन –

- आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय स्तर पर स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत बदलाव लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय द्वारा पारिवारिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (SLWM) की मांग सृजित करने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियां की जाती हैं।
- SBMG चरण-2 का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण किया जाना नहीं है बल्कि ग्रामों को ODF प्लस बनाये जाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचा निर्मित किये जाने तथा स्वच्छता के बेहतर विकल्प अपनाने के लिये समुदाय के व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा सूचना और संचार (IEC) की गतिविधियाँ किया जाना है ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।
- योजना अंतर्गत निर्मित की गई कुल परियोजना लागत के 3% का उपयोग IEC/BCC पर किये जाने का प्रावधान है।
- क्षमतावर्द्धन से तात्पर्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला/ब्लाक/ग्राम स्तरीय अमले, स्वच्छाग्रहियों एवं त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों योजना के घटकों से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

(4) नवाचार/पहल–

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 में ग्रामों में होने वाले घर-घर कचरा संग्रहण एवं कचरा परिवहन की ऑनलाईन समीक्षा हेतु मोबाईल एप का निर्माण किया गया।
2. ग्रामों में Singel Used Plastic एवं अन्य प्लास्टिक उत्पादों के अपशिष्ट प्रबंधन को आर्थिक गतिविधि के परिवर्तित करने के लिये ग्रामों में होने वाले जटिल कचरे को परिवर्तित कर ग्रामीण सड़क मार्ग निर्मित करने हेतु ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में अभिसरण किया गया है।
3. स्वच्छाग्रहियों की संलग्नता हेतु योजना एवं SOP जारी किया गया। स्वच्छाग्रहियों की क्षमतावर्द्धन हेतु स्वच्छाग्रही बुकलेट फेज-2 के घटक अनुसार स्वच्छता रथ प्रोटोटाईप डिजाईन एवं स्वच्छता चैम्पियन के लिये प्रमाण-पत्र एवं निगरानी समिति के बैजस साथ ही स्वच्छाग्रहियों के प्रमाण-पत्र की डिजाईन तैयार कर रोलआउट किया गया COVID-19 संबंधित अपेक्षित अनुकूल व्यवहार संबंधित संचार किट तैयार कर रोल आउट किया गया।
4. YouTube पर प्रशिक्षण सामग्री के वीडियो एकजाई कर एक प्लेटफार्म के रूप में उपयोग करते हुए लॉन्च किया गया। इसके अलावा कचरे से कलात्मक के आधार पर जिला उज्जैन द्वारा “सेल्फी पार्क” जिला छिन्दवाड़ा द्वारा “कंचन वाटिका” आदि जैसे कचरे की सामग्री से बनने वाले कलात्मक वस्तुओं का सौंदर्यीकरण कर पुनः उपयोग में लिया जाकर नवाचार जैसे कार्य किये गये।

(5) बजट प्रावधान –

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के प्रमुख घटक घरेलू स्वच्छ शौचालय निर्माण, प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य है। फेस-2 के प्रमुख घटक एवं बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

घटक	SBM मद से प्रावधानित राशि		स्तर
	5,000 से कम जनसंख्या	5,000 से अधिक जनसंख्या	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	60 रु./व्यक्ति	45 रु./व्यक्ति	60 रु./व्यक्ति
तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति
जल स्थिरीकरण तालाब (WSP)	प्रावधान नहीं	600 रु./व्यक्ति	प्रावधान नहीं
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	पात्र हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12000 का प्रोत्साहन।		हितग्राही
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	रु. 3.00 लाख/सी.एस.सी. (70: एस.बी.एम. से एवं 30: 15वें वित्त आयोग से)		ग्राम पंचायत
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	रु. 16.00 लाख प्रति यूनिट प्रति ब्लॉक		ब्लॉक स्तर
गोबरधन मॉडल प्रोजेक्ट	रु. 50.00 लाख प्रति जिला		जिला स्तर

(नोट— एक गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत बचत राशि, यदि कोई हो, का उपयोग उसी गाँव में गंदा जल प्रबंधन के लिये किया जा सकता है और इसी तरह, गाँव में गंदा जल प्रबंधन के तहत बचत राशि, यदि कोई हो, का उपयोग उसी गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किया जा सकता है)

(6) वर्ष 2021-22 में 4 मार्च 2022 तक की प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

- ग्रामों में खुले में शौच मुक्ति की निरन्तरता के लिये वर्ष 2021-22 में 2,66,146 पूर्व वर्ष के अनिर्मित को शामिल कर लक्ष्य निर्धारित किया जाकर कुल 2,40,435 शौचालय कुल (90 प्रतिशत) निर्मित किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2021-22 में सामुदायिक स्वच्छता परिसर अंतर्गत स्वीकृत 9,019 परिसर में 3,745 का निर्माण कराया गया है।
- वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 22,063 ग्रामों का चयन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया गया है अद्यतन स्थिति में 3,583 ग्रामों में घर-घर का कचरा संग्रहण प्रारंभ हो गया है कुल 4543 कचरा वाहन क्रय किये गये हैं। तथा 1,412 सेग्रीगेशन सेड निर्मित किये गये साथ ही ठोस गीले कचरे के निष्पादन हेतु 40,401 सामुदायिक कम्पोस्ट पिट निर्मित किये गये हैं तथा इस हेतु SBMG में राशि रुपये 3150.69 लाख का व्यय किया गया।
- 20,921 ग्रामों में 62,839 सामुदायिक सोकपिट एवं 1,98,773 घरेलू सोक पिट का ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु निर्मित किये गये हैं तथा सामुदायिक स्तर के कार्यों पर SBMG मद से राशि रुपये 4417.48 लाख का व्यय किया गया है।
- अब तक 3,416 ग्रामों को पूर्ण रुप ठोस अपशिष्ट प्रबंधित, 3266 ग्रामों को पूर्ण रुप तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं 2865 ग्रामों को ODF plus घोषित किया गया है।
- गोबरधन योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। योजना अंतर्गत इस वर्ष अद्यतन स्थिति में समस्त जिलों में 481 परियोजनाओं के लिए स्थल चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- तकनीकी एजेंसी के रूप में गोसंबर्धन बोर्ड का चयन किया गया, संस्था के मध्य अनुबंध की कार्यवाही की जा रही हैं। गोबरधन योजना अंतर्गत 07 कार्य पूर्ण, 02 कार्य प्रगतिरत।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत दिनांक 16.07.2021 को माननीय मंत्री महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में PWM हेतु प्रदेश के चिन्हित 28 जिलों में material recovery facility (MRF) सेन्टर की स्थापना एवं शेष जिलों को उक्त MRF में मैप करने का निर्णय लिया गया है।
- दिनांक 29.08.2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक के एनिमेशन हेतु पर्यावरण विभाग को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- दिनांक 01.09.2021 को ठोस/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रावधानों में संशोधन करने एवं आवश्यक उपनियम निर्मित करने व नवीन मसौदा तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।



ओडीएफ प्लस गाँवों में दीवाल लेखन एवं संकेतक बोर्ड



सामुदायिक स्तर पर संग्रहित कचरे का पृथक्करण, जिला, सीहोर

गीले एवं सूखे कचरे का दैनिक मात्रा गणना करते हुये



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला सागर

ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला टीकमगढ़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रस्तावना / परिचय

सड़के विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण यंत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है। अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

अनुषांगिक संगठन / योजनांतर्गत गठित सभा / सशक्त समितियों / अनुषांगिक संगठन / योजना की जानकारी

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियां

1. **साधारण सभा**— सभापति — माननीय मुख्यमंत्री— सदस्य सचिव — विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अधिकार सपन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करते हुए उन्हे आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना तथा उनमें संशोधन।

2. **कार्यकारिणी समिति**— सभापति—माननीय विभागीय मंत्री —सदस्य सचिव —विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय।
- प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का अनुमोदन।

3. **साधिकार समिति**— सभापति — मुख्य सचिव म.प्र.शासन।

अधिकार

- इस समिति को मंत्री—परिषद के अधिकार प्रदत्त हैं।
- समन्वय एवं मंत्री—परिषद को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
- प्राधिकरण के कार्यों का सुचारु संपादन के लिए अन्य विभागों के समन्वय के संबंध में निर्णय।

- **योजना का उद्देश्य**

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (All weather road) पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम / नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से सतत कराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

- **कार्यक्षेत्र :-**

इस योजना का कार्यक्षेत्र पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

- **मानव संसाधन संरचना :-**

संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार।

- **विशेषताएँ**

- कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5 / 10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी / नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
- PMGSY-III योजना के अंतर्गत उन्नयन लिए मार्गों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित है। विद्यमान समस्त मार्गों एवं ग्रामों का जी.आई.एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाओं में पहुंचने हेतु मार्गों की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रैसमैप से मार्गों की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य (Utility Value) के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची (CUCPL) से वरीयता के क्रम पर मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- भौतिक / वित्तीय उपलब्धियाँ / परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु 22,622 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18,902 मार्गों जिनकी लम्बाई 72,911 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 582 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है, जिससे 17,506 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।

इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 में अद्यतन दिनांक तक 49 किमी. लम्बाई 47 मार्गों एवं 70 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 104 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 08 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-2

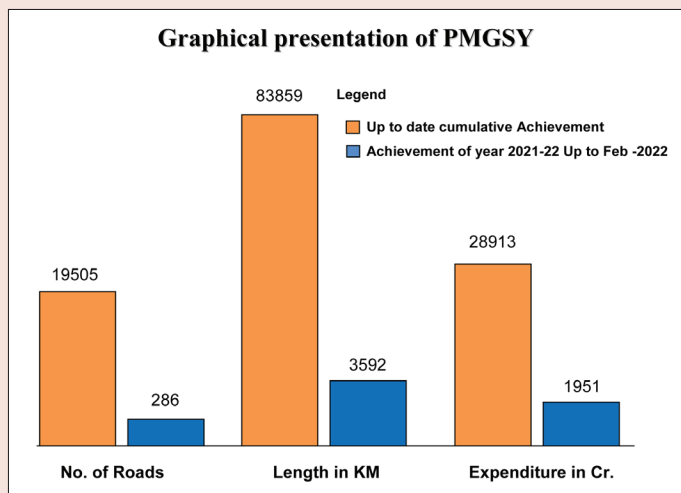
भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 4906 किमी मार्गों के उन्नयन की तथा 245 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 4,877 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 224 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 में अद्यतन दिनांक तक 16 मार्ग जिनकी लंबाई 23 किमी. है, निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 30 वृहद पुलों का भी निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-3

योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना है। भारत सरकार से प्रदेश को 12362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है। अद्यतन स्थिति में 986 मार्गों, 11,390 किमी एवं 340 नग पुलों के लिये रु. 7,972.44 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर 231 मार्गों जिनकी लंबाई 5,866 किमी एवं 75 पुलों का कार्य पूर्ण कर राशि रु. 3,065 करोड़ का व्यय किया गया। भारत सरकार द्वारा योजना की अवधि

वर्ष 2025 तक निर्धारित इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 में अद्यतन दिनांक तक 3,519 किमी के 223 मार्ग एवं 71 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा राशि रु. 1665 करोड़ का व्यय किया गया है।



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गों के नवीनीकरण हेतु 609 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 10000 कि.मी. के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंधित कार्यों में से अब तक 9,122 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 में अद्यतन दिनांक तक 620 किमी. के कार्य तक पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

विशेष उपलब्धियां

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाईन प्रबंधन।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 1,02,994 कि.मी. लंबाई के मार्गों को स्वीकृति मिली है। इनमें से लगभग 91,400 कि.मी. लंबाई के पूर्ण मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक बेब आधारित

ऑनलाईन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (NIC) द्वारा GIS के अंतर्गत पृथक पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल से माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के Geo-Tagged फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण।
4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाईन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि का PFMS के माध्यम से ऑनलाईन बैंक खातों में हस्तांतरण।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी का पोर्टल पर होने से संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach

Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, SQC को कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाईन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

नवाचार/पहल

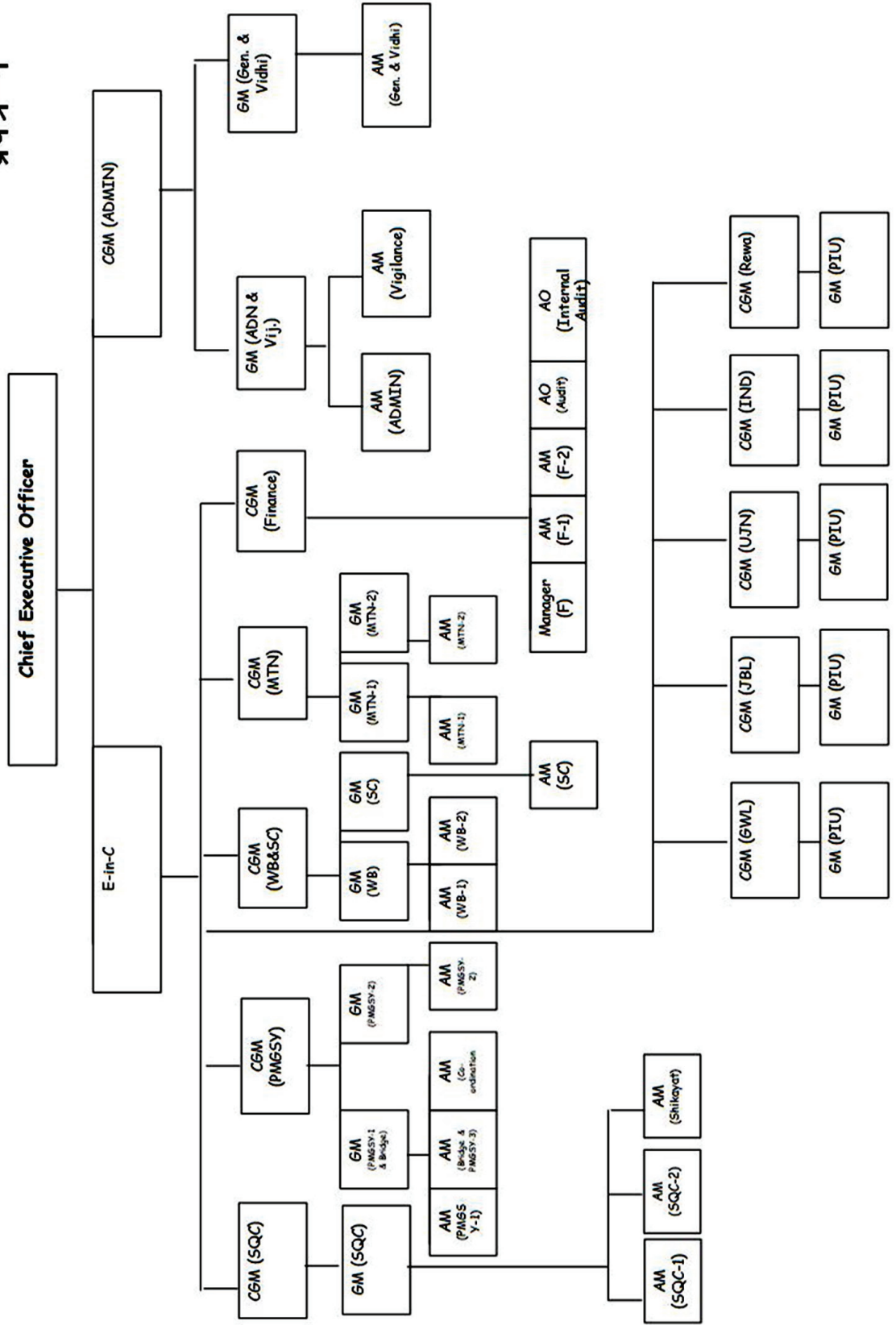
प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 5,221 MT प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का प्रयोग करते हुए 10,442 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 में अद्यतन दिनांक तक प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर 772 किमी. मार्गों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।

Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, Bhopal

Head office flow Chart

प्रस्ताव-1



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रस्तावना / परिचय

01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त आवासहीन एवं शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास एवं 2 कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया गया है। ग्राम सभा से सत्यापित एवं अनुमोदित प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास, 1 कक्ष / 2 कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई जाकर प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। वर्तमान में प्रदेश की स्थाई प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है।

- वित्त पोषण-भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- आवास की लागत-समतल क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये प्रति ईकाई एवं आईएपी जिलों में 1,30,000/- रुपये एवं मनरेगा मजदूरी 90/95 दिन प्रति ईकाई।

उद्देश्य :-

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 'सब के लिए आवास' 2024 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश द्वारा योजना प्रारम्भ से अब तक 23.75 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4.09 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 3.88 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

समृद्ध पर्यावास के अंतर्गत हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं से अभिसरण (Convergence) कर अधिक से अधिक लाभ दिया जा रहा है।

भौतिक उपलब्धियाँ / परिणाम :-

1 अप्रैल 2021 को 7.90 लाख अपूर्ण आवासों में से दिनांक 04.03.2022 तक 5.07 लाख आवास पूर्ण कराये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य 4.09 लाख के विरुद्ध 3.88 लाख स्वीकृत किये जाकर, 3.66 लाख हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी की गई।

वित्तीय उपलब्धियाँ / परिणाम :-

योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त आवंटन राशि रु. 33,698.74 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 32,877.17 करोड़ का व्यय किया गया।

विशेष उपलब्धियाँ :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में मध्यप्रदेश, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है।
- राजमिस्त्री प्रशिक्षण अंतर्गत 9,000 महिला प्रशिक्षुओं को भी राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया।

नवाचार / पहल—

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत राज्य के समस्त लाभान्वित हितग्राही जिन्हें आवास का लाभ दिया जा चुका है उन सभी को केन्द्र व राज्य स्तर से संचालित लगभग सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

अभ्युदय नवाचार —

अभ्युदय नवाचार अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें/ग्राम जहां सामान्यतः 100 से अधिक आवास प्रगतिरत हैं का चिह्नांकन किया जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के अंतर्गत सामुदायिक व्यक्तिगत अधोसंरचना का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुदृढीकरण व अन्य विविध योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।



मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

परिचय :

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.यू.जी.के.वाई.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) वर्ष 2012 से संचालित है, जोकि वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य :

गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी निर्धनता कम करना, एवं आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाया जाना।

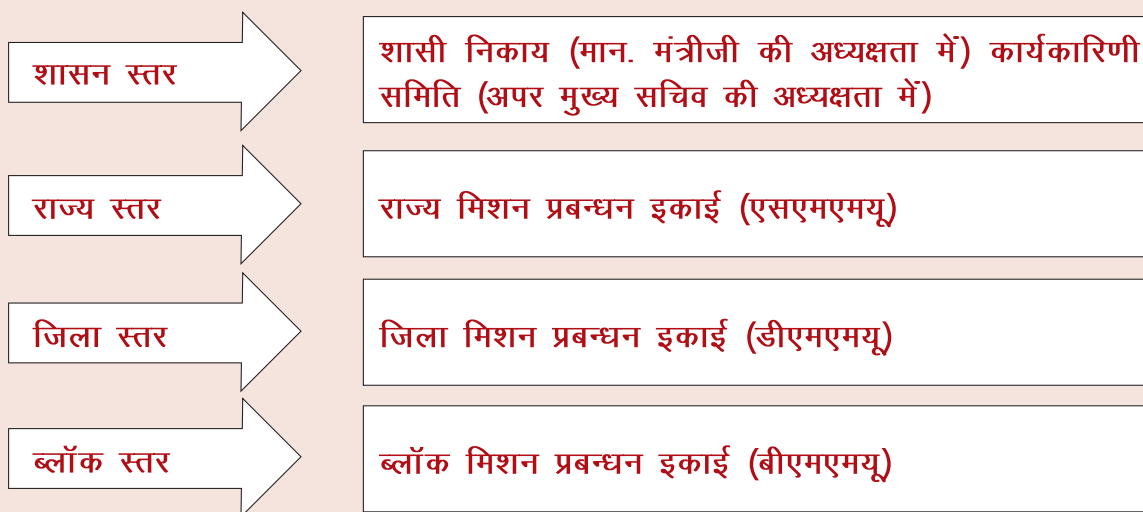
पात्रता :

सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 के अनुसार लक्षित परिवार।

कार्यक्षेत्र :

प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना :



- **राज्य स्तर** : मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 22 स्वीकृत पद हैं जिसमें 20 पद भरे हुए हैं।
- **जिला स्तर** : जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के 391 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 293 पद भरे हुए हैं।
- **विकासखण्ड स्तर** : मिशन में विकासखण्ड स्तर पर मैदानी अमले के 1565 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1437 पद भरे हुए हैं।

विशेषताएं:

सामुदायिक संस्थान गठन एवं विकास :

- महिला स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है। गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखते हों एवं गरीबी से बाहर आने हेतु संगठित होकर प्रयास करना चाहते हैं।
- स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व-सहायता समूह भागीदारी करते हैं एवं समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम संगठन भागीदारी करते हैं।

वित्तीय समावेशन :

चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया जाता है।

आजीविका :

समूहों को शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय/अभिसरण कर पात्रतानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। समूह सदस्यों को कृषि, पशुपालन, गैर कृषि आधारित एवं विभिन्न प्रकार की अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार :

ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई.) के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन।
- आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

उपलब्धि वर्ष 2021-22 (अद्यतन स्थिति 3 मार्च 2022 तक)

- 03 लाख 42 हजार परिवारों की महिला सदस्यों को 26,996 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 3,052 ग्राम संगठन एवं 221 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- 22,654 स्व-सहायता समूहों को रु. 26.14 करोड़ की चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) एवं 13,948 समूहों को रु. 108.69 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) प्रदाय की गई है।



समूह की बैठक

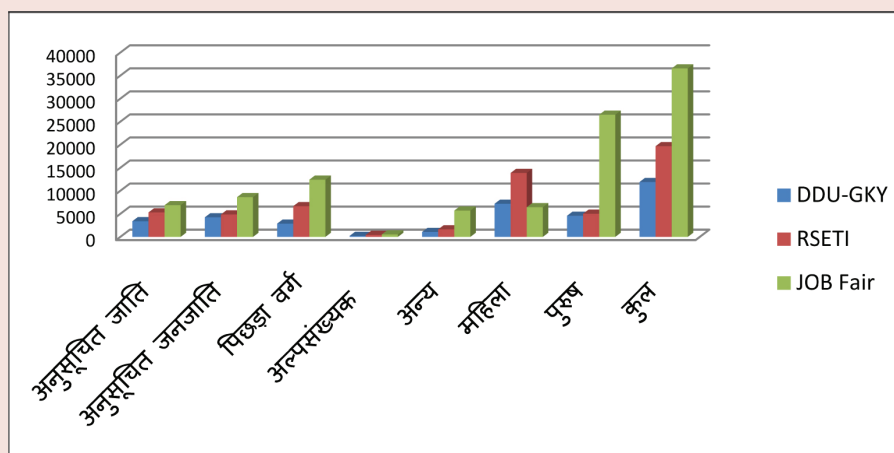


सीएलएफ की बैठक

- प्रदेश में 77,476 समूहों को रु. 987.15 करोड़ का बैंक ऋण दिलाया गया है।
- रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 64,484 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई. एवं आरसेटी के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या) :

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम



मुख्य आजीविका गतिविधियां वर्ष 2021-22 (अद्यतन स्थिति 3 मार्च 2022 तक)

- 2 लाख 66 हजार परिवारों को कृषि तथा पशुपालन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- 14,112 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम कार्यों यथा सेनेटरी नैपकिन, सिलाई, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, हथकरघा इत्यादि से जुड़कर 1,34,174 स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- 2 लाख 21 हजार आजीविका पोषण वाटिका (Nutrition Garden) तैयार की गई हैं।



व्यवसायिक सब्जी उत्पादन



सूक्ष्म उद्यम गतिविधि



आजीविका पोषण वाटिका

विशेष उपलब्धियां:

- महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंडवॉश तथा पी.पी.ई.-किट बनाने हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाकर आय के साधन से जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 82 लाख मास्क, 69,240 लीटर सैनिटाइजर, 19,239 लीटर हैंड वॉश एवं 5 लाख 62 हजार साबुन बनाये एवं विक्रय किया गया है। समूह की महिलाओं द्वारा 38 हजार सुरक्षा किट (पी.पी.ई.-किट) तैयार की गई हैं।
- बीसी सखी द्वारा जन धन खाता धारकों एवं अन्य बैंकिंग सेवाएं हेतु रु. 289.91 करोड़ से अधिक का व्यापार (Transaction) किया गया।
- लोक अधिकार केन्द्र – महिलाओं के संगठनों की समाज तथा अन्य संस्थानों में वैधिक पहचान, आवाज व जगह बने इस उद्देश्य से लोक अधिकार केन्द्र एक रणनीति है जिसमें 03 लोक अधिकार केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं एवं 16 जिलों में केन्द्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया की जा रही है।
- कोरोना काल में 3.20 लाख स्व-सहायता समूहों को कोविड-19 उचित व्यवहार, प्रतिरक्षा ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यमों से प्रशिक्षण दिया गया।
- स्व-सहायता समूह/ उत्पादक समूह आदि द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रमोशन, डेवलेपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी एशोरेन्स, डिजाइन, ब्राण्डिंग, सेल्स हेतु उत्पाद को मार्केट के अनुसार तैयार कर तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए “आई.आई.एम. इन्दौर एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग” के बीच अनुबंध हुआ है।
- सीधी, सिंगरौली, मण्डला एवं डिण्डौरी में कोदो कुटकी के प्रसंस्करण हेतु कार्य प्रारंभ।
- जिला छिन्दवाड़ा में मक्का के उपार्जन एवं विपणन हेतु कार्य प्रारंभ।
- रबी उपार्जन वर्ष 21-22 में एनआरएलएम के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा 78.15 लाख क्विंटल तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में 53.37 लाख क्विंटल का उपार्जन किया गया जिससे उपार्जन कार्य में महिलाओं की भागीदारी हुई है तथा उन्हें आय के स्रोत प्राप्त हुए हैं।
- आजीविका मिशन समर्थित 10 किसान उत्पादक कंपनियों द्वारा रिलायंस रिटेल के साथ विपणन में सहयोग हेतु अनुबंध हस्ताक्षर किये गये।
- जिला-छिन्दवाड़ा में आजीविका मिशन समर्थित किसान उत्पादक कंपनी “सतपुड़ा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कंपनी” द्वारा 5,402 क्विंटल मक्का उपार्जन किया जाकर विपणन किया गया है।
- जिला श्योपुर में विशेष पिछड़ी जनजातीय (PVTGs) समूह सदस्यों हेतु संरक्षण सह विकास सी.सी.डी. प्लान योजनान्तर्गत जनजाति परिवारों की आजीविका संवर्धन हेतु हल्दी कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना कर हल्दी प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे कुल 300 समूह सदस्य लाभान्वित किये जा रहे हैं।

नवाचार/पहल :

- आजीविका मिशन द्वारा ताप विद्युत संयंत्र वाले 10 जिलों में से 9 जिलों में फलाई एश ब्रिक्स निर्माण इकाई स्थापना हेतु 32 समूहों को 26 मशीनें उपलब्ध कराकर 282 समूह सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रति माह कुल 11.94 लाख फलाई एश ब्रिक्स बनाई जाकर विक्रय किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा सामूहिक उद्यम के रूप में 127 स्वल्पाहार केन्द्र “दीदी कैफे” शासकीय एवं

गैर शासकीय परिसरों में संचालित किये जा रहे हैं एवं कैफे के माध्यम से स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा आय अर्जित की जा रही है।

वित्तीय उपलब्धि :

- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह फरवरी 2022 तक एनआरएलएम हेतु प्रावधानित राशि रु. 605 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 388 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध राशि रुपये 310.02 करोड़ का व्यय हुआ है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना :

- राशि रु. 10,000 तक ब्याज रहित ऋण प्रदाय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से 107323 हितग्राही लाभांशित हुए हैं।



दीदी कैफे



फलाई ऐश – ईट निर्माण



अगरबत्ती निर्माण



आजीविका फ्रेश



महिला स्व-सहायता समूह का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



जिला शिवपुरी में पोषण आहार संयंत्र की चाबी स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को सौंपते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



जिला शिवपुरी में पोषण आहार संयंत्र का निरीक्षण करते हुए
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



गुना जिले के विकास खण्ड बमौरी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत आजीविका
एक्सप्रेस योजना के तहत स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को वाहन की चाबी सौंपते हुए
माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



गुना जिले के विकास खण्ड बमौरी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों से चर्चा करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नानपुर (जिला अलीराजपुर) में सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास

परिचय :

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) प्रारंभ किया था, जिसे जुलाई 2015 से “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है। “वाटरशेड विकास” की अवधारणा इस दृष्टिकोण की पूर्ति करती है। “वाटरशेड विकास” ऐसी योजना है जिसमें कम लागत से नवीन जल स्रोतों का सृजन किया जा सकता है, साथ ही जल का वितरण और संरचनाओं का प्रबंधन, ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने के कारण दक्षतापूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य :

- वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना।
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि

विशेषताएँ :

प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण खेती कम उत्पाद का व्यवसाय होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से और खेती संबंधी यथोचित आदानो एवं प्रौद्योगिकी के प्रदाय से खेती से होने वाली आय बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई सामर्थ्य विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और इस प्रकार अपेक्षित ग्रामीण समृद्धता के लिए उपयोगी योजना है। योजना की रणनीति जन सहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, संसाधन हीन एवं गरीब ग्रामीणों के स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र व वित्तीय स्रोत :

योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्डर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं बोरी बंधान आदि का निर्माण
- भू-जल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुण्डी कुइया, कुआं/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण

नवीन वाटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति

- 20 जनवरी 2022 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (WCD-PMKSY 2.0) के तहत 36 जिलों में 82 नवीन वाटरशेड विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आगामी 5 वर्ष की अवधि में लागत रुपये 1088.274 करोड़ की लागत से 94670.00 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।
- “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (WCD-PMKSY 2.0) परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्षा आधारित क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता से कृषि की आर्थिक विकास दर में गति लाना है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संवहनीय प्रबन्धन व उपयोग से फसल उत्पादकता में वृद्धि कर ग्रामीणों की औसत आय में वृद्धि करना। ग्राम स्तरीय संगठनों एवं फसल उत्पादक संगठनों को गठित एवं क्रियाशील बनाया जाकर उत्पादन आदानों की पहुंच को सहज बनाना एवं उत्पादों के विपणन हेतु बेहतर बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।



वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1 अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी 2022 तक कुल व्यय राशि रुपये 109.99 करोड़ से 45 चेकडैम, 1070 फार्मपाण्ड, 60 परकोलेशन टैंक, 104 नाला बंधान, 261 तालाब एवं भूजल 410 रिचार्ज शाफ्ट सहित कुल 1950 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उक्त संरचनाओं से कुल 9432 हेक्टेयर सिंचाई सामर्थ्य विकसित हुई जिससे 10879 कृषक परिवार लाभान्वित हुए हैं!



खेत तालाब निर्माण से पड़त भूमि विकास जिला मुरैना



जलसंग्रहण संरचनाओं के निर्माण से सिंचाई सामर्थ्य का विकास- जिला भोपाल



वृक्षारोपण – जिला रीवा

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है। स्वशासी संस्था म0प्र0 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना परिषद' कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के मुख्य उद्देश्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करना तथा शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2017 से एमडीएम पोर्टल का निर्माण कर पोर्टल के माध्यम से खाना पकाने की लागत राशि स्व-सहायता समूहों एवं रसोइयों के मानदेय का भुगतान भी उनके बैंक खातों में सीधे राज्य स्तर से प्रदाय किया जा रहा है।

प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई है।	(प्राथमिक शाला के लिए कच्चा खाद्यान्न)।
गर्म पका हुआ भोजन	जनवरी, 2004 से (केवल प्राथमिक शाला)
पिछड़े शैक्षणिक विकास खण्डों में प्रारम्भ समस्त	अक्टूबर, 2007 (माध्यमिक शाला)
माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का विस्तार	वर्ष 2008 से।

राज्य स्तर से निम्नानुसार साप्ताहिक मेनू कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित है—

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंग्स/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

कार्यक्रम का लक्ष्य :-

प्रदेश की 1.12 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 69,906 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.16 लाख रसोईयों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

नाम	शालाएँ			विद्यार्थी (लाख में)		
	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
मध्यप्रदेश	81,451	31,113	1,12,564	40.59	25.69	66.28

क्रमांक	शाला का स्तर	कैलोरी	प्रोटीन
1.	प्राथमिक	450	12-13 ग्राम
2.	माध्यमिक	700	20-21 ग्राम

भोजन के पोषण मानक

संसाधन (दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील)

क्र	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1.	प्राथमिक	100 ग्राम	2.98	1.99	4.97
2.	माध्यमिक	150 ग्राम	4.47	2.98	7.45

वर्ष 2021-22 के अनुसार लक्ष्य एवं प्रगति

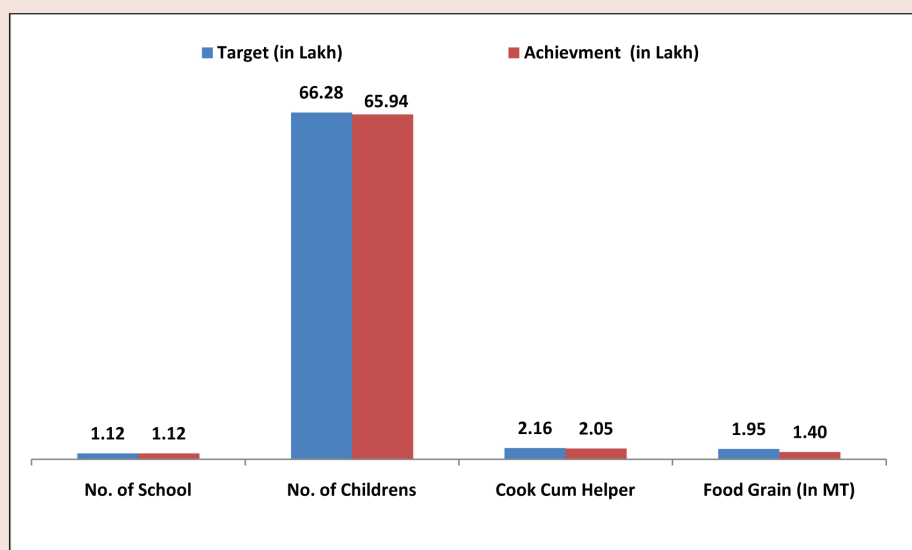
(लाख में)

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 28.02.2022 की स्थिति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवंटन	जारी राशि
1	शालाओं की संख्या	1.12	00	1.12	1.12	00	00
2	विद्यार्थियों की संख्या	66.28	00	66.28	65.94	00	00
3	रसोईयों की संख्या	2.16	00	2.16	2.05	00	00
4	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि	1.95 एमटी	4613.86	1.93 एमटी	1.40 एमटी	2741.60	2741.60

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 28.02.2022 की स्थिति			
5	भोजन पकाने की लागत राशि	00	111281.63	00	00	56463.99	43084.08
6	रसोईयों का परिश्रमिक	2.16	21673.70	2.05	2.05	24965.40	24965.40
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	00	2932.53	00	00	1739.48	1434.18
8	एमएमई की राशि	00	2127.87	00	00	1269.79	1268.72
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (नवीन)	00	00	00	00	00	00
10	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (रिपयेरिंग)	00	00	00	00	00	00
11	बर्तन रिप्लेसमेंट	00	00	00	00	00	00
12	Flexible fund (School Nutrition Gardens SNG @RS 5000 each)	00	00	00	00	00	00
	Flexible fund (Supplementary Nutrition)	00	6424.05	00	00	00	00

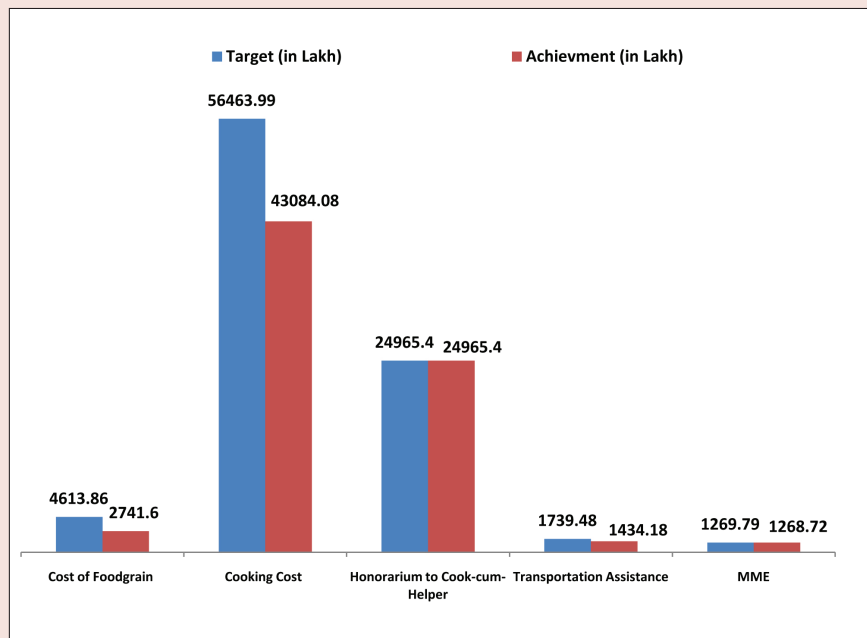
वर्ष 2021-22 के अनुसार भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति (रु. लाख में)

	Target	Achievment
No. of Schools	1.12	1.12
No. of Children	66.28	65.94
Cook Cum Helper	2.16	2.05
Food Grain	1.95 MT	1.40 MT



वर्ष 2021-22 के अनुसार भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति (रु. लाख में)

	Target	Achievement
Cost of Foodgrain	4613.86	2741.60
Cooking Cost	56463.99	43084.08
Honorarium to Cook-cum-Helper	24965.40	24965.40
Transportation Assistance	1739.48	1434.18
MME	1269.79	1268.72



वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 1.12 लाख (प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं) में 65.94 लाख बच्चों को भोजन प्रदाय किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार है :-

1. खाद्यान्न
2. खाद्यान्न की परिवहन राशि
3. भोजन पकाने की लागत राशि
4. रसोईयों का मानदेय
5. एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)
 - खाद्यान्न भारत सरकार से बीपीएल दरों पर चावल/गेहूं प्राप्त होता है।
 - खाद्यान्न की परिवहन राशि 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
 - रसोईयों को प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2018 से मानदेय रुपये 2000 उनके बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।
 - कुल केन्द्रीय आवंटन का 2.7 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

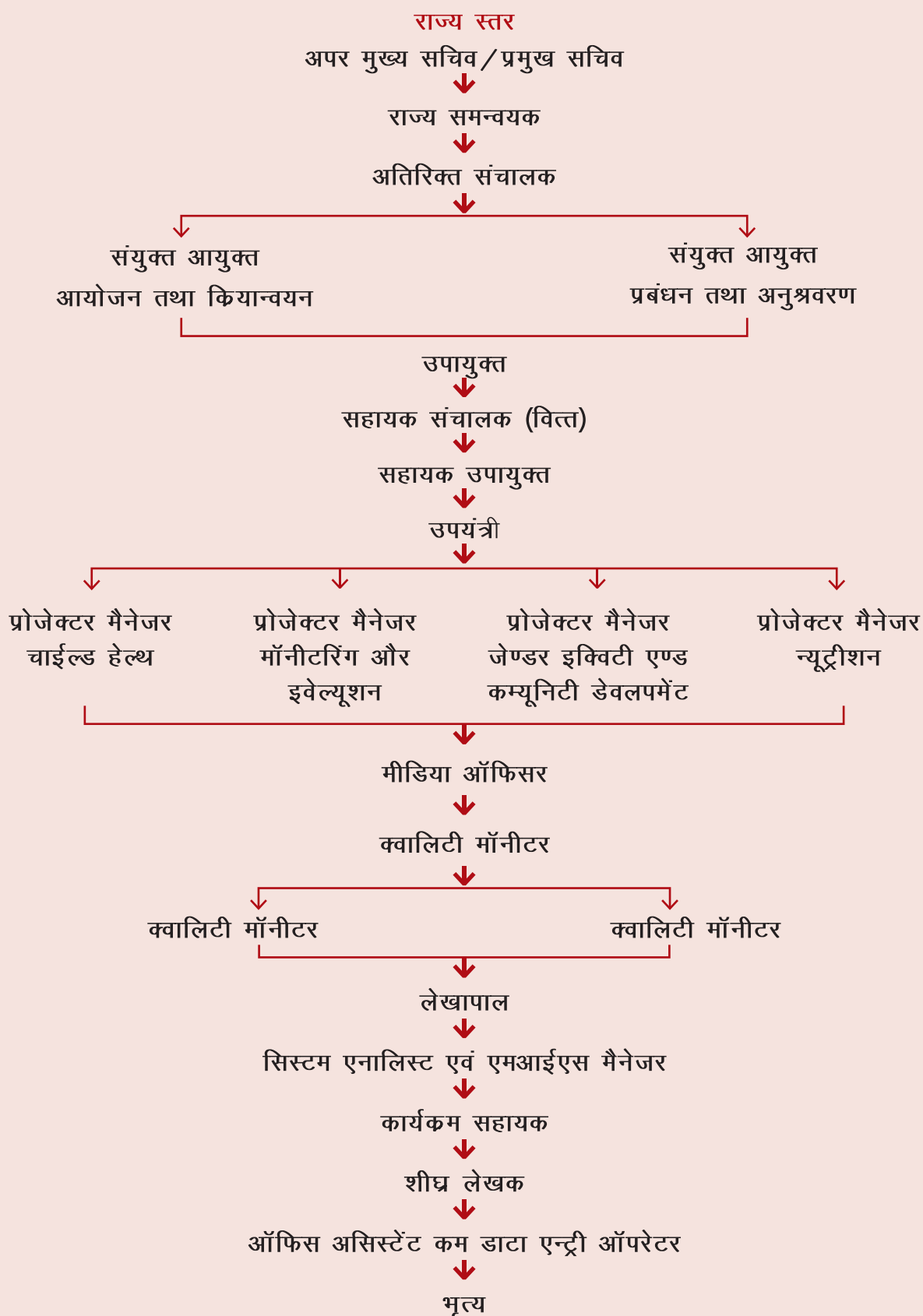
दूध प्रदाय योजना :-

1. **उद्देश्य** — प्राथमिक शालाओं/आंगनवाड़ियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त न्यूट्रीएंट प्रदान कर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना एवं उपस्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा छात्रों में शिक्षा के प्रति अपेक्षित रुचि एवं उत्साह पैदा करना।
2. **लक्ष्य** — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत बच्चों को प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को भोजन वितरण से लगभग दो-तीन घण्टे पूर्व मीठा, सुगंधित दूध 02 फ्लेवरों (चाकलेट एवं इलायची) लक्षित प्राथमिक शाला एवं आंगनवाड़ियों के बच्चों को प्रति बच्चे को 10 ग्राम दुग्ध पावडर में 100 एमएल गुनगुने पानी को मिलाकर तरल दूध तैयार कर प्रदाय किया जाता है। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण दुग्ध प्रदाय बंद रहा है।
3. **वित्त पोषण** — दूध प्रदाय पर व्यय हो रही राशि का शतप्रतिशत प्रदाय राज्य बजट से किया जा रहा है। दूध पावडर की दर 241 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
4. **दूध का सेम्पल रखा जाना** — प्रत्येक शाला स्तर पर भोजन के सेम्पल की तरह ही दूध पावडर से तैयार दूध का सेम्पल रखे जाने के निर्देश हैं।
5. **मूल्यांकन** — दूध वितरण योजना के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु शाला स्तर पर प्रभारी शिक्षक, संकुल स्तर पर जन शिक्षक, खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व बीआरसी, जिला स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, योजना के प्रभारी अधिकारी/टास्क मैनेजर/क्वालिटी मॉनीटर, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त आयुक्त (विकास) एवं राज्य स्तर से परिषद् के अधिकारी समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण करेंगे।
6. **योजना अंतर्गत किचिनशेड निर्माण** — योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 1919 किचिनशेड की मांग की गई है। भारत सरकार से राशि अपेक्षित है।

अभिनव प्रयास :

1. **एल.पी.जी. गैस कनेक्शन व्यवस्था** — प्रदेश के लगभग 1.12 लाख स्कूलों में 1,06,059 शासकीय शालाओं में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं।
2. **पुरस्कार की व्यवस्था** — स्वच्छ किचिनशेड प्रतियोगिता के निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50,000/- प्रथम 30,000/- द्वितीय व 20,000/- तृतीय पुरस्कार का प्रावधान हैं।
3. **माँ की बगिया** — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा माँ की बगिया तैयार किये जाने हेतु वर्ष 2021-22 में मनरेगा, कृषि विभाग, उद्यानिकी, स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र के शतप्रतिशत अभिसरण से तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माँ की बगिया पूर्व वर्षों में किचन गार्डन के नाम से जानी जाती थी परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किचन गार्डन का नाम परिवर्तित कर माँ की बगिया किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में चिन्हित 43,871 शाला परिसर में से स्वीकृत 32,140 में से 22,160 माँ की बगिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण में सुधार किये जाने हेतु बागवानी को बढ़ावा देने हेतु एवं पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु माँ की बगिया तैयार किये जाने का लक्ष्य लिया गया है। योजना में उपयोग होने वाली सब्जियों, फलों को शालाओं में तैयार किया जा रहा है। माँ की बगिया में विशेष रूप से फल एवं सब्जियों में मुनगा (सहजन), पपीता, नीबू, कटहल एवं अमरुद के साथ पालक, लौकी, भिंडी आदि लगाये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की पदीय संरचना एवं स्थिति



प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की पदीय संरचना एवं स्थिति
जिला स्तर



‘गुना जिले में माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया जी द्वारा नवीन निर्मित डाइनिंग हाल में बच्चों के साथ किया नाश्ता



मां की बगिया-माध्यमिक शाला ठोढ़ा विकास खण्ड बिछिया जिला मण्डला



मां की बगिया-प्राथमिक शाला टिकरिया, विकास खण्ड मण्डला, जिला मण्डला

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

विजन : अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के संकुलो (क्लस्टर्स) को रुर्बन गांवों के रूप में विकसित करना।

मिशन का उद्देश्य :

- ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को कम करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रों में विकास कार्यों का व्यापक प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

रुर्बन संकुल क्या है : रुरबन मिशन के अंतर्गत दो प्रकार के संकुल होंगे।

- ▶ गैर जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 25,000 से 50,000 हो।
- ▶ जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 5,000 से 15,000 हो।
- ▶ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संकुल की समस्त ग्राम पंचायतों को एक ही जनपद में सम्मिलित किया जाता है।

रुर्बन संकुल के चयन हेतु मापदंड :

- गैर जनजातीय संकुल का चयन
- दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि।
- भूमि की कीमतों में वृद्धि।
- दशक के दौरान गैर-कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि।
- माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों वाले परिवारों का प्रतिशत।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में निष्पादन।
- ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई सुशासन की पहलें।
- जनजातीय संकुल का चयन
- दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि।
- जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि।
- दशक के दौरान गैर-कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र : रुर्बन मिशन अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 08 गैर जनजातीय) की 166 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों को निर्धारित मापदंडों अनुसार चयनित किया गया है

मध्य प्रदेश में चयनित रुर्बन संकुल

प्रथम चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	भोपाल	फंदा	रातीबड	गैर जनजातीय	13
2	भोपाल	बैरसिया	गुनगा	गैर जनजातीय	12
3	इंदौर	इंदौर	नावदापंथ	गैर जनजातीय	07
4	इंदौर	महू	सिमरौल	गैर जनजातीय	05

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
5	छतरपुर	छतरपुर	अच्छट	गैर जनजातीय	12
6	सिवनी	सिवनी	कान्हीवाडा	जनजातीय	07
7	छिन्दवाडा	तामिया	देलाखाडी	जनजातीय	10
	कुल योग				66

द्वितीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	ग्वालियर	घाटीगांव	मोहना	गैर जनजातीय	03
2	ग्वालियर	डबरा	चीमक	गैर जनजातीय	13
3	रीवा	हनुमना	गौरी	गैर जनजातीय	11
4	धार	धार	गुनावद	जनजातीय	14
5	झाबुआ	पेटलावाद	मोहनकोट	जनजातीय	08
6	बैतूल	शाहपुर	देशावाडी	जनजातीय	07
	कुल योग				56

तृतीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	झाबुआ	मेघनगर	गुवाली	जनजातीय	05
2	खण्डवा	पंधाना	आरुद	जनजातीय	06
3	अनुपपुर	पुष्पराजगढ	किर्गी	जनजातीय	09
4	सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	जनजातीय	05
5	अलीराजपुर	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	जनजातीय	07
6	मण्डला	बिछिया	रामनगर	जनजातीय	07
	कुल योग				39

मिशन के अतर्गत वांछनीय घटक

क्र.	घटक	क्र.	घटक
1	कौशल विकास प्रशिक्षण	9	स्ट्रीट लाईट
2	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	10	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3	स्वास्थ्य	11	नागरिक सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना

क्र.	घटक	क्र.	घटक
4	विद्यालयों एवं शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन	12	गांवों के बीच सड़क संपर्क
5	24*7 पाइप द्वारा जलापूर्ति	13	ग्रामीण नालियां तथा गलियां का आवर्धन
6	सार्वजनिक परिवहन	14	एल.पी.जी गैस कनेक्शन
7	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	15	पर्यटन
8	डिजिटल साक्षरता		

रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कौशल विकास अंतर्गत पलाई ऐश ट्रेनिंग सेंटर, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा प्रसंस्करण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, विलेज स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना ई – ग्राम कनेक्टिविटी के लिए लोक सेवा केंद्र जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जाते हैं।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियों के निर्धारण किये जाने हेतु राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

अन्य बिंदु

- राज्य कार्यालय के परिपत्र क्र. 12071/22/वि&15/एमपीएसपीएमआरएम/2021 दिनांक 30-09-2021 से जिलों को राज्य स्तर से प्रसारित होने वाले समस्त कार्यों के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।
- योजना अंतर्गत समस्त भुगतान भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की गई PFMS भुगतान प्रणाली से किये जा रहे हैं।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

- मिशन द्वारा आज दिनांक तक मिशन के वांछनीय घटकों में राशि रु. 211.80 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसके विरुद्ध राशि रु. 115.50 करोड़ की वित्तीय प्रगति मिशन द्वारा अर्जित की गई है।



चेक डैम निर्माण, गुवाली संकुल, जिला झाबुआ

ओवरहेड टंकी निर्माण, रामनगर संकुल जिला मंडला

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन



यात्री प्रतीक्षालय निर्माण देशावाड़ी संकुल,
जिला बैतूल



स्मार्ट कक्ष निर्माण निर्माण नावदापंथ संकुल,
जिला इंदौर



उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण गौरी संकुल जिला रीवा



स्टॉप डैम निर्माण, रामनगर संकुल जिला मंडला

भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में पूर्व में संचालित एसजीएसवाय योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किया गया है। जिसका पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 क्र.44) के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत क्र.01/01/01/16830/06 के अंतर्गत है। वर्तमान में यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समाहित की गई है।

भोपाल हाट की परिकल्पना के मुख्य स्वरूप में भोपाल हाट का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। इससे बिचौलिया की भूमिका समाप्त होती जा रही है एवं समूहों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। भोपाल हाट में आयोजित मेलों के माध्यम से स्वसहायता समूह उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। भोपाल हाट के नियमित मेलों के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। जिसमें प्रतिमाह 15 से 20 दिन के मेले आयोजित किये जाने का प्रावधान है एवं प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व-सहायता समूह भाग लेते हैं। भोपाल हाट के संचालन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से एक मुश्त 75.00 लाख रुपये प्राप्त होने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एम्पोरिया से प्राप्त राशि/एटीएम से प्राप्त किराया राशि/फूडजोन से प्राप्त किराया राशि/अन्य विभागों को भोपाल हाट मेले हेतु उपलब्ध कराने से प्राप्त किराया राशि आदि से भोपाल हाट में आयोजित किये जाने वाले मेलों का संचालन एवं भोपाल हाट का रख रखाव किया जाता है।

भोपाल हाट का संचालन संचालक, ग्रामीण रोजगार पदेन प्रबंध संचालक, भोपाल हाट विपणन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। भोपाल हाट कार्यालय में उपायुक्त स्थापना पदेन उपायुक्त भोपाल हाट, तथा प्रभारी, भोपाल हाट एवं विकास आयुक्त कार्यालय के लेखापाल के माध्यम से भोपाल हाट विपणन समिति के खातों का रखरखाव एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर/भृत्य/माली की सेवाएं ली जा रही हैं। विभागीय मेलों के अतिरिक्त रिक्त समय में अन्य विभागों के मेले भोपाल हाट विपणन समिति में निर्धारित किराया दर के आधार पर उपलब्ध कराया जाकर मेले आयोजित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय एवं अन्य विभागों के मेला आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये भोपाल हाट में आयोजित मेलों का विवरण निम्नानुसार है:-

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय	नोडल विभाग का नाम
चरखा खादी उत्सव	10.10.2021 से 20.10.2021 तक (11 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	म.प्र. खादी बोर्ड
दीपोत्सव प्रदर्शन	23 से 27 अक्टूबर 2021 तक (5 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	एम.एस.एम.ई. भारत सरकार
नेशनल हैण्डलूम एक्सपों	26.12.2021 से 09.01.2022 (15 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	हस्तशिल्प विकास निगम
खादी प्रदर्शनी	21.01.2022 से 04.02.2022 तक (15 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	म.प्र. खादी बोर्ड

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय	नोडल विभाग का नाम	राज्य	म.प्र. के जिलों की संख्या	भाग लेने वाले समूहों की संख्या
रीजनल सरस मेला प्रथम	24.11.2021 से 06.12. 2021 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय	पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि.	18	38	240
रीजनल सरस मेला द्वितीय	03.03.2022 से 15.03. 2022 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय	पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि.	11	32	190



भोपाल हाट में 17वें रीजनल सरस मेला का शुभारंभ करते हुए
माननीय राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल



रीजनल सरस मेला हाट बाजार भोपाल दिनांक 24.11.2021 से 06.12.2021

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं

पंचायतराज संस्थान—म.प्र.

आधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है।

पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वाह करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध उत्कृष्ट कार्य संस्कृति निर्मित करने की दिशा में प्रयास करने का होता है तथा प्रतिनिधियों को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में निखार लाने हेतु संचालित गतिविधियों का निर्माण करना होता है। अतः शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देना आवश्यक है। इस दृष्टि से वर्ष 1996 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी। इसी प्रकार महात्मा गांधी के 125 वीं जयंती पर संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम पर किया गया एवं वर्ष 2016 में भारत शासन के निर्देशानुसार संस्थान का नाम परिवर्तित कर “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान” किया गया।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव है।

प्रशासनिक संरचना :-

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण, शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संस्थान के संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। संस्थान में संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय वर्ग के पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
	(1) प्रशासनिक			
1	संचालक	1	1	0
2	अतिरिक्त संचालक	2	0	2
3	संयुक्त संचालक	1	1	0
4	उप संचालक	3	3	0
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	4	4	0
7	अधीक्षक	2	2	0
	(2) प्रशिक्षण			
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग / मैनेजमेंट	2	1	1
9	अनुदेशक	2	0	2
10	अनुसंधान सहायक	2	1	1
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)	7	2	5
	(3) सहयोगी कार्मिक			
12	लिपिक वर्गीय	20	10	10
13	अलिपिक वर्गीय	4	4	0
14	रसोईया / भृत्य / माली / दफ्तरी / चौकीदार / फर्लाश	30	16	14
15	वाहन चालक	3	3	0
16	सफाई कर्मी	4	2	2
	योग	88	50	38

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अधोसंरचना :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म.प्र. का नवीन प्रशासनिक भवन 1987 में निर्मित किया गया। इसके पश्चात् प्रशासनिक भवन का विस्तार करते हुए ग्रंथालय भवन, 03 प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर लैब निर्मित कराया गया। इस प्रकार वर्तमान में संस्थान में कुल 06 व्याख्यान कक्ष एवं एक संगोष्ठी कक्ष उपलब्ध है। संस्थान के प्रशिक्षण कक्षों में दृश्य श्रव्य उपकरण लगाए गए हैं। संस्थान में 110 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त वातानुकूलित ऑडिटोरियम उपलब्ध है, जिसका उपयोग संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में किया जाता है।

छात्रावास व्यवस्था :-

संस्थान में प्रतिभागियों के ठहरने हेतु “संस्कार” छात्रावास है, जिसमें 32 कक्ष एवं 4 कक्षों की डॉरमेटरी है। उक्त छात्रावास में 60 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक पुराना छात्रावास है जिसमें 16 कक्ष है, जिसमें 32 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। संस्थान में अतिथियों हेतु 10 कक्षों का वातानुकूलित अतिथि गृह है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में 76 प्रतिभागियों के ठहरने हेतु नवीन छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार संस्थान में एक समय में 168 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है।

“महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” का निर्माण:-

संस्थान के परिसर में अधोसंरचनाओं की अधिकता तथा संस्थान की भविष्य में बढ़ती क्षमतावर्धन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि आवश्यक अधोसंरचनायें अन्य परिसर का चयन कर वहां विकसित की जावे। इसी अनुक्रम में वर्तमान परिसर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शासन द्वारा जबलपुर के “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” के लिए आवंटित भूमि पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

परिवहन :-

परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्षेत्र में भ्रमण के लिए एवं संस्थान के प्रतिभागियों के आवागमन एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए संस्थान के पास वर्तमान में 1 स्कार्पियो, 1 बोलेरो, 1 टाटा मैजिक उपलब्ध है। इनका उपयोग अतिथि वक्ताओं के आवागमन, दूरस्थ प्रशिक्षणों एवं संस्थान की अन्य परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिवहन व्यवस्था के लिए किराये पर भी वाहन लिये जाते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संकाय :-

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक संरचना में प्रशिक्षण के लिए 2 प्रोफेसर, 2 अनुसंधान सहायक एवं 2 अनुदेशक के पद सृजित किये गए हैं। भारत शासन द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग, विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता के लिए पंचायतराज, ग्रामीण विकास वॉटरशेड प्रबंधन आदि विषयों के लिए दसवीं योजना हेतु 7 संकाय सदस्य शत प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृत है। इनकी पूर्ति संविदा, प्रतिनियुक्ति अथवा कन्सल्टेंसी के आधार पर की जाती है। भारत शासन के इन पदों के विरुद्ध 02 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग की 01 मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें 02 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसी प्रकार संस्थान में आर.जी.एस.ए योजनांतर्गत 02 कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स, 04 संकाय सदस्य एवं 01 लेखापाल एवं मनरेगा योजनांतर्गत 01 संकाय सदस्य कार्यरत हैं।

पुस्तकालय :-

प्रशिक्षार्थियों एवं संकाय सदस्यों के ज्ञान एवं जानकारी को समृद्ध करने एवं अद्यतन रखने की दृष्टि से किसी भी संस्थान में पुस्तकालय अनिवार्य अंग होता है। इस दृष्टि से संस्थान में पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विषय विशिष्टता लिये हुये राज्य स्तरीय पुस्तकालय का एक अलग खंड निर्मित है। यद्यपि यह खंड बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है किन्तु संस्थान में उपलब्ध सीमित स्थान में ही वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। पुस्तकालय में वर्तमान में लगभग 16540 पुस्तकें विभिन्न विषयों यथा— ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, प्रबंधन, जेण्डर, समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, इतिहास, बाल विकास, पोषण, वॉटरशेड, इंजीनियरिंग एवं साहित्य की है। संस्थान ग्रंथालय आधुनिकीकरण के अंतर्गत एनआईसी, दिल्ली द्वारा विकसित ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर बार कोडिंग की सुविधा सहित पाठको को सुविधायें प्रदाय की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 8 दैनिक समाचार पत्र, 13 जर्नल मंगाये जाते हैं। संस्थान द्वारा आरएनआई नई दिल्ली से रजिस्ट्रेशन नं. प्राप्त कर जनरल प्रकाशन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त अध्येताओं एवं शोध कर्त्ताओं के लिए शुल्क के साथ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि पुस्तकालय में संग्रहित ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया :-

संस्थान में कम्प्यूटर विषय पर बेसिक एवं विभिन्न एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पृथक से कम्प्यूटर लैब है, जिसमें 20 कम्प्यूटर लगाए गए हैं। सभी कम्प्यूटर को LAN से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर्स का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ संकाय सदस्यों द्वारा पाठ्य सामग्री बनाने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर लैब को और अधिक आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान में लीज लाईन इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान परिसर में वाय फाई की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण कक्षों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत 5 केयान (K-YAN) प्रोजेक्टर प्रशिक्षण कक्षों में स्थापित की गई हैं। प्रोजेक्टर में कम्प्यूटर साउंड बाक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेन की सुविधा भी है, जिससे स्क्रीन पर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा लिखा जा सकता है एवं लिखे हुए टेक्स्ट को सेव भी किया जा सकता है। संस्थान के डाटा को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से शासक मंडल के निर्णयानुसार आधुनिक ऑनलाईन इन्वरटर स्थापित कराए गए हैं।

संस्थान वित्त पोषण :-

स्वायत्तशासी होने के उपरांत संस्थान को राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2021-22 में राज्य शासन द्वारा रु. 113.13 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके विरुद्ध रु. 80.90 लाख प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में अभी तक कुल राशि रु. 331.47 लाख व्यय हुआ। संस्थान के लिए 2 संकाय सदस्यों के वेतन की शत-प्रतिशत पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 में संस्थान द्वारा भारत शासन को आवर्ती मद में रु. 405.07 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा प्रथम किश्त की प्राप्ति नहीं हुई है। अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है, जिससे संस्थान के संधारण संबंधी अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

ईटीसी वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2021-22 में रुपये 320.00 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रु. 204.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। वर्तमान वर्ष में प्राप्त अनुदान के विरुद्ध राशि रु. 459.94 लाख का व्यय हुआ। भारत शासन से रु. 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है, जिसके विरुद्ध केवल ईटीसी उज्जैन को राशि रु. 10 लाख एवं ईटीसी इंदौर को राशि रु. 5 लाख प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है।

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

क्षेत्रीय संरचनाएँ :-

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय, पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तारित है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है। इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं। जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव (छतरपुर) में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध है। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रशिक्षण गतिविधियां :-

“सबकी योजना सबका विकास” जन योजना अभियान (PPC)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा “सबकी योजना सबका विकास” (2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक) जन योजना अभियान अंतर्गत “ग्राम पंचायत विकास योजना 2022-23” तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप के माध्यम से सर्वे एवं रैंकिंग की जाकर पंचायतीराज संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के समन्वय से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये जन योजना अभियान चलाया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षित राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया।

1.1 राज्य स्तरीय जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी विषय पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण :-

जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने हेतु संस्थान एवं अनुषांगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के 45 संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर्स को राष्ट्रीय स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम वेबीनार के माध्यम संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय जीपीडीपी/बीपीडीपी/ डीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये।

1.2 जिला एवं जनपद स्तरीय जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण-

जन योजना अभियान अंतर्गत “ग्राम पंचायत विकास योजना 2022-23” तैयार करने के उद्देश्य से संस्थान के प्रशिक्षित संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर्स (राज्य स्तरीय जीपीडीपी/बीपीडीपी/ डीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स) द्वारा ग्राम पंचायत फेसीलिटेटर, फेसीलिटेटर टीम को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जिला एवं जनपद पंचायत के मास्टर ट्रेनर्स को संस्थान द्वारा 1 दिवसीय वेबीनार के माध्यम से जिला एवं जनपद स्तरीय जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें कुल 143 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये।

1.3 “सॉफ्ट स्किल” विषय पर प्रशिक्षण :-

तकनीकी रूप से अपने क्षेत्र में निपुण लोगों के व्यक्तित्व में एक निश्चित बिंदु के बाद ठहराव—सा आ जाता है एवं उनके नेतृत्व क्षमता, समूह में काम करना, सामाजिक सम्प्रेषण तथा अन्य संबंधित कौशलों का अभाव परिलक्षित होने लगता है। सॉफ्ट स्किल एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सम्प्रेषण कौशल, श्रवण कौशल, टीम कौशल, नेतृत्व के गुण, परिवर्तनशीलता आदि सम्मिलित हैं, का प्रशिक्षण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 5 सत्रों में कुल 217 प्रतिभागियों की सहभागिता रही। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को सॉफ्ट स्किल्स विषय पर प्रशिक्षित करना है।

1.4 तनाव प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण-

“तनाव प्रबंधन” विषय पर जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान कुल 13 सत्रों में 719 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

1.5 पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (टी.एन.ए.) :-

“पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (टी.एन.ए.)” विषय पर आगामी कार्यकाल हेतु चुने जाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की तैयारी के उद्देश्य से प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन (TNA) का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश के विभिन्न संभागों से जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत), ग्राम पंचायत के प्रधान (सरपंच), ग्राम पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक (GRS) इत्यादि सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में कुल 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

1.6 कोविड-19 की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण :-

“कोविड-19 की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका” विषय पर प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत के प्रधान (सरपंच), ग्राम पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक (GRS), स्वच्छताग्राही इत्यादि सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला के 5 सत्रों में कुल 323 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

1.7 “प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा पर पंचायतों की भूमिका” विषय पर प्रशिक्षण :-

“प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा पर पंचायतों की भूमिका” विषय पर प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत के प्रधान (सरपंच), ग्राम पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक (GRS), स्वच्छताग्राही इत्यादि सम्मिलित हुए। आयोजित 2 सत्रों में कुल 189 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

1.8 ग्राम पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोत बढ़ाने विषय पर प्रशिक्षण (OSR) :-

ग्राम पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोत विषय पर ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें कुल 10 सत्रों का आयोजन कर लगभग 566 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

1.9 नागरिक घोषणा-पत्र :- सिटिजन चार्टर :-

सिटिजन चार्टर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एक समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटान और उनके जीवन में सुधार हो सके साथ ही साथ पंचायत एवं चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह बन सके। इस हेतु 2 सत्रों का आयोजन कर 114 मास्टर ट्रेनर्स (संकाय सदस्य, प्रोग्रामर्स, अधिकारी) को प्रशिक्षित किया गया।

2. अन्य प्रशिक्षण गतिविधियां

संस्थान द्वारा अन्य विषयों पर निम्न प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की गईं—

2.1 सामाजिक अंकेक्षण में तकनीकी प्रावधान विषय पर प्रशिक्षण:-

“सामाजिक अंकेक्षण में तकनीकी प्रावधान” विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में ग्राम सामाजिक एनीमेटर प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुये। जिसमें 17 सत्रों में कुल 962 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.2 “जेण्डर संवेदनशीलता में पंचायतों की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण:-

“जेण्डर संवेदनशीलता” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 2 सत्रों में कुल 104 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.3 ग्राम सामाजिक एनीमेटर विषय पर प्रशिक्षण:-

“ग्राम सामाजिक एनीमेटर” विषय पर संचालक, सामाजिक संपरीक्षा समिति, भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में ग्राम सामाजिक एनीमेटर प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुये। जिसमें 18 सत्रों में कुल 768 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.4 “पीआरआई एसएचजी कन्वरजेंस” विषय पर प्रशिक्षण:-

“पीआरआई एसएचजी कन्वरजेंस” विषय पर आरजीएसए अंतर्गत ऑनलाईन एक दिवसीय प्रशिक्षण कराये गये, जिसमें 37 सत्रों में कुल 1725 प्रतिभागी सम्मिलित हुये।

2.5 “Spatial Planning for BPDP for the State of Madhya Pradesh विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण:-

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद एवं Center for Geo-Informatics Applications in Rural Development (CGARD) के सहयोग से संस्थान में “Spatial Planning for BPDP for the State of

Madhya Pradesh” विषय पर 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारीगण/संकाय सदस्य तथा प्रोग्रामर के साथ-साथ प्रदेश की सभी जिला पंचायतों से एक-एक शासकीय सेवकों सहित कुल 129 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2021-22 में आयोजित प्रशिक्षण :-

संस्थान द्वारा वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक 169 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 9272 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 828 सत्र आयोजित कर 39777 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

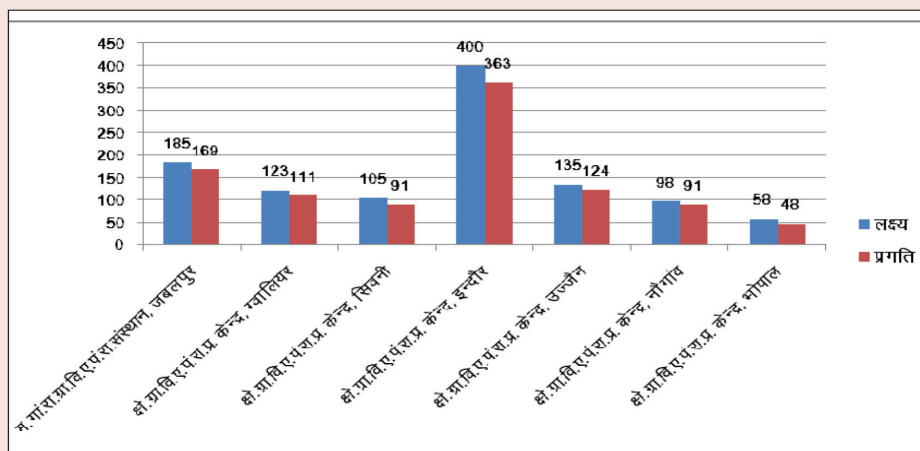
माह अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 (2021-22)

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
1	ट्रेनिंग मैनेजमेन्ट पोर्टल विषय पर प्रशिक्षण	2	80	1	2	81	81
2	यूनिफाइड पेमेन्ट इंटरफेस (यू.पी.आई.) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	50	1	1	58	58
3	“शोध पत्र तैयार करने का तरीका” विषय पर प्रशिक्षण	1	50	1	1	69	69
4	जनपद पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	60	2	1	54	108
5	तनाव प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण	13	720	1	13	719	719
6	“Spatial Planning for BDP” विषय पर 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	100	3	1	129	387
7	“जी.पी.डी.पी. के क्रियान्वयन में एस.डी.जी. का एकीकरण” विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	50	5	1	53	265
8	“पंचायत सुशासन पर महिला पदाधिकारियों का क्षमतावर्धन” विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	100	2	1	74	148

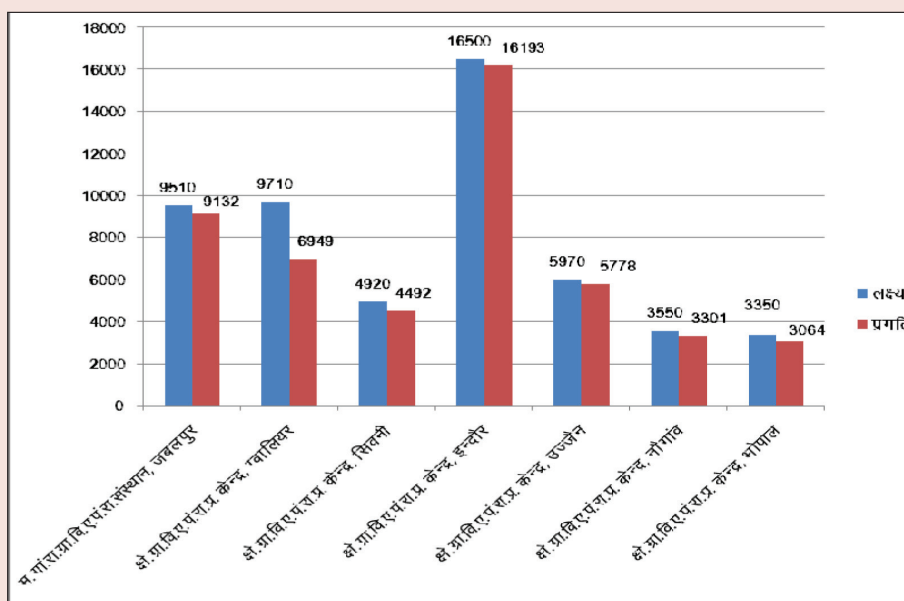
क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
9	पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र (सिटीज़न चार्टर) तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	152	1	2	114	114
10	पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र (सिटीज़न चार्टर) तैयार करने हेतु जिला/जनपद नोडल एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	352	1	2	309	309
11	"जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी." विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	1	50	1	1	45	45
12	"जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी." विषय पर जिला/जनपद नोडल अधिकारी एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	1	171	1	1	143	143
13	सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत "सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास" विषय पर कार्यशाला	2	202	1	2	170	170
14	पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (टी. एन.ए. कार्यशाला)	1	40	2	1	40	80
15	ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक विषय पर प्रशिक्षण	2	105	1	2	100	100
16	"कोविड-19 के दौरान गर्भवती महिला एवं किशोरी बालिका की देखभाल" विषय पर एमआरपी का प्रशिक्षण	2	160	1	2	157	157
17	"कोविड-19 की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका" विषय पर प्रशिक्षण	5	325	1	5	323	323
18	"सॉफ्ट स्किल" विषय पर प्रशिक्षण	5	200	1	5	217	217

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
19	पी.एफ.एम.एस. विषय पर प्रशिक्षण	7	315	1	7	311	311
20	कार्यालय प्रबंधन में कम्प्यूटर का उपयोग	3	150	1	3	143	143
21	"प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा पर पंचायतों की भूमिका" विषय पर एमआरपी का प्रशिक्षण	2	200	1	2	189	189
22	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल में पंचायतों की भूमिका	3	200	1	3	203	203
23	ग्राम पंचायत के स्वयं के आय के स्रोत	10	600	1	10	566	566
24	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण	18	900	1	18	896	896
25	सामाजिक अंकुषण में तकनीकी प्रावधान विषय पर प्रशिक्षण	17	935	1	17	962	962
26	पी.आर.आई-एस.एच.जी कनवरजेंस विषय पर प्रशिक्षण	37	1665	1	37	1725	1725
27	जेन्डर संवेदनशीलता में पंचायतों की भूमिका	2	100	1	2	104	104
28	ग्राम सामाजिक एनिमेटर प्रशिक्षण (इन केम्पस)	18	796	5	18	768	3840
29	एस.बी.एम. अंतर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (इन केम्पस)	3	194	2	3	198	396
30	ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक प्रशिक्षण हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	90	5	2	84	420
31	नल जल योजना प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	3	114	3	3	128	384
योग		169	9226	.	169	9132	13632

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह फरवरी 2022 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण



संस्थावार प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह फरवरी 2022 तक प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागियों का विवरण



प्रयास का एक दशक :-

संस्थान अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग मार्गदर्शन एवं संरक्षण देकर सक्रिय बनाने की दिशा में प्रयासरत है। जिनके फलस्वरूप संस्थान की गतिविधियों में विस्तार एवं वृद्धि हुई है। वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं –

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10,688	787	51,498
2007-08	259	9,658	1061	56,952
2008-09	1,580	99,999	1022	50,003
2009-10	2,583	1,53,861	1035	38,184
2010-11	245	9,211	1233	47,045
2011-12	2,184	2,99,165	1194	57,759
2012-13	5,229	2,38,020	1093	51,771
2013-14	8,927	3,71,747	752	32,199
2014-15	440	17,083	301	13,167
2015-16	249	7,026	263	11,024
2016-17	80	2,479	425	15,582
2017-18	360	10,968	197	7,262
2018-19	3,626	1,64,755	308	8,330
2019-20	1,976	94,026	185	7,539
2020-21	44	6,690	296	15,198
2021-22	169	9132	828	39777

शोध और अध्ययन :-

संस्थान एवं सभी 06 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ संकाय सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न विषयों क्रमशः स्व-सहायता समूह, पंचायतराज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, महिला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

मासिक पत्रिका “पहल” का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही साथ संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं से संबंधित जानकारियों का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

इस ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है, जिससे पंचायतराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं शासकीय सेवक भी लाभान्वित हो सकें।

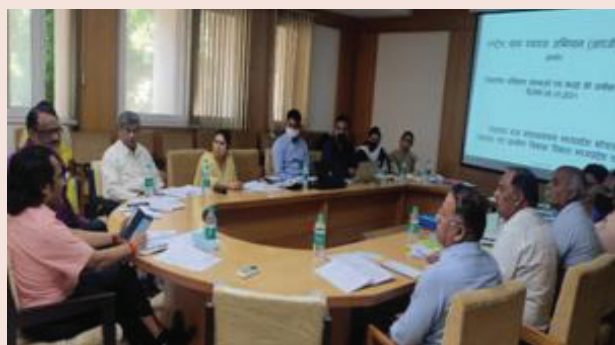
भविष्य की परिकल्पना :-

संस्थान को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन में उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त हो रही है। संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर प्रेषित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम परिलक्षित हुए हैं, आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं प्रशिक्षण से जुड़े नवाचारों के आधार पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।



सोशल एकाउंटबिलिटी और सोशल ऑडिट विषय पर प्रशिक्षण



प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण समीक्षा बैठक



संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के साथ बैठक



जिला समन्वयक, सामाजिक अंकेक्षण का एक दिवसीय प्रशिक्षण

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल

प्रस्तावना /परिचय :-

प्रकृति की सुरम्य उपत्यकाओं के बीच अवस्थित मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष स्वशासी प्रशिक्षण संस्थान है। कलियासोत बांध के दायें तट पर 89 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह संस्थान मध्यप्रदेश सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 1985 को पंजीकृत है।

उद्देश्य :-

1. विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
2. सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
3. सिंचाई प्रबंधन जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
4. ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
5. ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
6. सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकुषण एवं मूल्यांकन।
7. सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।

कार्यक्षेत्र :-

- प्रशिक्षण (Online एवं Offline)
- संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन (Online एवं Offline)
- सलाहकारिता सेवाएँ
- क्रियात्मक अनुसंधान एवं परियोजनाएं
- तकनीकी हस्तांतरण
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अंकुषण एवं मूल्यांकन
- भ्रमण कार्यक्रम
- शिविरों एवं मेलों का आयोजन
- साहित्य एवं पठन सामग्री विकसित करना
- ई-विस्तार
- "लैब टू लैंड" अवधारणा
- विशिष्ट विद्वानों एवं अतिथियों के व्याख्यान
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की तकनीकों का प्रक्षेत्र एवं परिसर में प्रदर्शन
- प्रकाशन — मैगजीन, वेबसाइट, फेसबुक, ट्वीटर, फिल्मस, पोस्टर्स इत्यादि।

मानव संसाधन संरचना (Flow Chart)

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद
संचालक	01	01
प्रशासकीय अधिकारी	01	01
उपायुक्त	01	01
लायब्रेरियन	01	—
लेखाधिकारी	01	01
सहायक यंत्री	01	01
अनुभाग अधिकारी	01	—
उपयंत्री	08	06
सहायक मानचित्रकार	01	—
कम्प्यूटर ऑप./प्रोग्राम असिस्टेंट	03	02
प्रेक्षक	01	01
केटरिंग मैनेजर	01	01
तकनीकी सहायक	04	03
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	01	01
ग्राफिक आर्टिस्ट	01	01
प्रयोगशाला तकनीशियन	02	02
समयपाल	02	02
कुक	02	02
वाहन चालक	06	05
वरिष्ठ कार्यालय सहायक	02	02
कार्यालय सहायक वर्ग-2	06	06
वरिष्ठ लेखा लिपिक	01	—
शीघ्रलेखक-2	01	01
शीघ्रलेखक-3	01	—
सहायक वर्ग-3	12	01
केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर	01	01
इलेक्ट्रिकल वायरमेन	01	—

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद
पंप अटेंडेंट	01	—
दफ्तरी	01	—
वाटरमेन	01	01
भृत्य	17	16
सफाईकर्मी	04	03
योग	88	63
स्थायीकर्म	—	33

वाल्मी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास स्कूल

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद
डीन	01	—
प्राध्यापक	04	—
सह—प्राध्यापक	08	01+01*
सहायक प्राध्यापक	08	02*
शोध सहभागी	08	&
इंटरन	08	30*

वाल्मी सैच्य क्षेत्र विकास स्कूल

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद
डीन	01	—
प्राध्यापक	03	—
सह—प्राध्यापक	10	01+05*
सहायक प्राध्यापक	10	01*
शोध सहभागी	06	01*
इंटरन	06	30*

नोट:— * - इम्पेनल

कार्यक्रम :

वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
अ. सामान्य कार्यक्रम					
1	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – छतरपुर	09 अगस्त, 2021	1	43	43
2	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – नौगांव (09.08.2021)	09 अगस्त, 2021	1	41	41
3	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – छतरपुर	10 अगस्त, 2021	1	36	36
4	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – महाराजपुर (10.08.2021)	10 अगस्त, 2021	1	25	25
5	स्टेट लेवल वर्कशाप ऑन फाइनालाईजिंग स्टेट्स रिपोर्ट ऑफ स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर वाटर सेक्टर ऑफ एम.पी. (MPSSAP)	11 अगस्त, 2021	1	27	27
6	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – राजनगर	11 अगस्त, 2021	1	46	46
7	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – अजयगढ़	11 अगस्त, 2021	1	37	37
8	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – राजनगर	12 अगस्त, 2021	1	42	42
9	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम-अजयगढ़	12 अगस्त, 2021	1	36	36
10	कृषि सखी उद्योग	24-25 अगस्त, 2021	2	45	90
11	कृषि सखी उद्योग	26-27 अगस्त, 2021	2	54	108

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
12	क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, एल्डर लाईन – 14567, हेल्पेज इंडिया	27 अगस्त, 2021	1	30	30
13	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – निवाड़ी	01 सितम्बर 2021	1	36	36
14	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – बलदेवगढ़, ढीकमगढ़	01 सितम्बर 2021	1	42	42
15	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – निवाड़ी	02 सितम्बर 2021	1	32	32
16	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – बलदेवगढ़, ढीकमगढ़	02 सितम्बर 2021	1	25	25
17	जेण्डर, SISD विषय पर युवा सलाहकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	01–03 सितम्बर, 2021	3	25	75
18	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – पलेरा, ढीकमगढ़	03 सितम्बर 2021	1	36	36
19	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – पथरिया, दमोह	03 सितम्बर 2021	1	48	48
20	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – पलेरा, ढीकमगढ़	04 सितम्बर 2021	1	29	29
21	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम – पथरिया, दमोह	04 सितम्बर 2021	1	38	38
22	सहभागी नियोजन प्रक्रिया, जीपीडीपी परफारमेंस एवं क्रियान्वयन	07–08 सितम्बर, 2021	2	5	10
23	सहभागी नियोजन प्रक्रिया, जीपीडीपी परफारमेंस एवं क्रियान्वयन	09–10 सितम्बर, 2021	2	17	34
24	सी.एल.एफ. – मानक संचालन प्रणाली– सुशासन एवं प्रबंधन	12–16 सितम्बर, 2021	5	71	355

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
25	सी.एल.एफ. – मानक संचालन प्रणाली– सुशासन एवं प्रबंधन	15–17 सितम्बर, 2021	3	71	213
26	अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु मास्टर्स ट्रेनर्स का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17 सितम्बर, 2021	1	52	52
27	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण	18–20 सितम्बर, 2021	3	51	153
28	सी.एल.एफ. – मानक संचालन प्रणाली– सुशासन एवं प्रबंधन	20–22 सितम्बर, 2021	3	58	174
29	सी.एल.एफ. – मानक संचालन प्रणाली– सुशासन एवं प्रबंधन	23–25 सितम्बर, 2021	3	58	174
30	“संचार एवं उन्मुखीकरण के लिये कार्यशाला सामुदायिक आजीविका संवाद मित्र”	24 सितम्बर, 2021	1	36	36
31	“संचार एवं उन्मुखीकरण के लिये कार्यशाला सामुदायिक आजीविका संवाद मित्र”	25 सितम्बर, 2021	1	37	37
32	मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण	28–30 सितम्बर, 2021	3	43	129
33	पूर्व में गठित पी.जी. के कार्यो का मूल्यांकन एवं आगामी कार्ययोजना पर प्रशिक्षण	04 अक्टूबर, 2021	1	65	65
34	पूर्व में गठित पी.जी. के कार्यो का मूल्यांकन एवं आगामी कार्ययोजना पर प्रशिक्षण	05 अक्टूबर, 2021	1	30	30
35	राज्य आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण	6 से 8 अक्टूबर, 2021	3	50	150
36	आई.बी.सी.बी. ओरयेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	11–13 अक्टूबर, 2021	3	33	99
37	आनन्दम सहयोगी रिफ्रेशर प्रशिक्षण	25–27 अक्टूबर, 2021	3	50	150
38	पोषण आहार संयन्त्र संचालन (THR)	27 अक्टूबर, 2021	1	41	41
39	प्राचार्यों का उन्मुखीकरण एवं भ्रमण कार्यक्रम	28–30 अक्टूबर, 2021	3	83	249
40	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन	08 से 09 नवम्बर, 2021	2	47	94
41	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	08 से 10 नवम्बर, 2021	3	41	123

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
42	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन	10 से 11 नवम्बर, 2021	2	50	100
43	अटल भूजल योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स अभिमुखीकरण प्रशिक्षण खजुराहो	15 नवम्बर, 2021	1	50	50
44	सूक्ष्म साख योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम	15 से 16 नवम्बर, 2021	2	42	84
45	13 सूत्र 30 बिन्दु एस.ओ.पी. – सुशासन एवं प्रबंधन	15 से 17 नवम्बर, 2021	3	42	126
46	जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 से 17 नवम्बर, 2021	2	19	38
47	उन्नत पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम	17 से 19 नवम्बर, 2021	3	41	123
48	जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 से 23 नवम्बर, 2021	2	19	38
49	सूक्ष्म साख योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 से 23 नवम्बर, 2021	2	41	82
50	एम.आई.एस. एवं मूल्यांकन	23 से 25 नवम्बर, 2021	3	33	99
51	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम (सागर)	29 नवम्बर, 2021	1	46	46
52	अटल भूजल योजना के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम (सागर)	29 नवम्बर, 2021	1	38	38
53	जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 से 30 नवम्बर, 2021	2	18	36
54	एसआरएलएम	25 से 29 नवम्बर, 2021	5	42	210
55	एसआरएलएम	26-27 नवम्बर, 2021	2	30	60
56	एसआरएलएम	27 से 29 नवम्बर, 2021	3	38	114
57	आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2021	3	44	132

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
58	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कृक कम रसोईया प्रशिक्षण कार्यक्रम	01 से 02 दिसम्बर, 2021	2	47	94
59	क्लस्टर आधारित आजीविका गतिविधि विकास एवं प्रबंधन	01 से 03 दिसम्बर, 2021	3	40	120
60	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	01 से 03 दिसम्बर, 2021	3	44	132
61	आनन्दम सहयोगी रिफ्रेशर	08 से 10 दिसम्बर, 2021	3	45	135
62	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम – प्रथम बैच	09 से 12 दिसम्बर, 2021	4	46	184
63	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम – द्वितीय बैच	09 से 12 दिसम्बर, 2021	4	44	176
64	एसआरएलएम समीक्षा बैठक	17 से 18 दिसम्बर, 2021	2	51	102
65	पंचायती राज त्रिस्तरीय संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण संबंधी कार्य हेतु जारी ई-निविदा प्रपत्र के संबंध में प्रि.बिड बैठक	22 दिसम्बर, 2021	1	25	25
66	त्रिस्तरीय पंचायतीराज सदस्य वित्तीय अंकेक्षण बैठक	06 जनवरी, 2022	1	13	13
67	अटल भूजल योजना अंतर्गत पीजोमीटर कन्स्ट्रक्शन पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला (जिला – सागर)	07 जनवरी, 2022	1	50	50
68	सहयोगी चिंतन बैठक लोक शिक्षण संचालनालय	08 से 09 जनवरी, 2022	2	33	66
69	नेहरू युवा केन्द्र कार्यक्रम	09 जनवरी, 2022	1	40	40
70	चहक क्लब भोपाल कार्यक्रम	09 जनवरी, 2022	1	50	50
71	आई.बी.सी.बी. समीक्षा बैठक कार्यक्रम	10 से 11 जनवरी, 2022	2	50	100
72	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	10 से 12 जनवरी, 2022	3	34	102
73	जल सुरक्षा कार्ययोजना निर्माण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	09.07.2021 से 10.07.2021	02	30	600

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
74	स्टेट लेवल वर्कशान ऑन फाईनलाईजिंग स्टेट्स रिपोर्ट आफ स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फार वाटर सेक्टर आफ एम.पी.	11.08.2021	01	26	26
75	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	06.09.2021 से 10.09.2021	05	42	210
76	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	06.09.2021 से 10.09.2021	05	42	210
77	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.09.2021 से 19.09.2021	05	42	210
78	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.09.2021 से 22.09.2021	05	41	205
79	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.09.2021 से 27.09.2021	05	42	210
80	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.09.2021 से 01.10.2021	05	43	215
81	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	04.10.2021 से 08.10.2021	05	39	195
82	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	04.10.2021 से 08.10.2021	05	36	180
83	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	09.10.2021 से 13.10.2021	05	42	210
84	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	09.10.2021 से 13.10.2021	05	49	245
85	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	20.10.2021 से 24.10.2021	05	59	295
86	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	20.10.2021 से 24.10.2021	05	37	185

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
87	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	25.10.2021 से 29.10.2021	05	53	265
88	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	25.10.2021 से 29.10.2021	05	59	295
89	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	08.11.2021 से 10.11.2021	03	50	150
90	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	08.11.2021 से 10.11.2021	03	40	120
91	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	11.11.2021 से 13.11.2021	03	47	141
92	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	11.11.2021 से 13.11.2021	03	44	132
93	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	15.11.2021 से 17.11.2021	03	36	108
94	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	15.11.2021 से 17.11.2021	03	48	144
95	स्टॉपडेम/तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं जीर्णोद्धार पर कार्यशाला/प्रशिक्षण	19.11.2021	01	110	110
96	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.11.2021 से 24.11.2021	03	48	144
97	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.11.2021 से 27.11.2021	03	40	120
98	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.11.2021 से 01.12.2021	03	24	72
99	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	02.12.2021 से 04.12.2021	03	46	138
100	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	06.12.2021 से 08.12.2021	03	49	147
101	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	06.12.2021 से 08.12.2021	03	51	153
102	अटल भूजल योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय रिफ्लेक्शन कार्यशाला	06.12.2021	01	81	81

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
103	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	09.12.2021 से 11.12.2021	03	46	138
104	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	09.12.2021 से 11.12.2021	03	46	138
105	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	13.12.2021 से 15.12.2021	03	54	162
106	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, ओरल हैल्थ एवं किशोर स्वास्थ्य अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	13.12.2021 से 15.12.2021	03	51	153
107	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.01.2022 से 09.01.2022	07	114	798
108	आदर्श सी.एल.एफ अवधारणा एवं एचआर समीक्षा रणनीति	17 से 18 जनवरी, 2022	2	30	60
109	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	17 से 19 जनवरी	3	43	129
110	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	18 से 19 जनवरी, 2022	2	35	70
111	13 सूत्र 30 बिन्दु एवं मानक संचालन प्रणाली – सीएलएफ	20 से 22 जनवरी, 2022	3	36	108
112	एफ.पी.ओ. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम	27 जनवरी, 2022	1	37	37
113	एफ.पी.ओ. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम	28 जनवरी, 2022	1	34	34
114	एफ.पी.ओ. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 जनवरी, 2022	1	24	24
115	एफ.पी.ओ. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम	31 जनवरी, 2022	1	44	44
116	त्रिस्तरीय पंचायतीराज सदस्य वित्तीय अंकेक्षण बैठक	31 जनवरी, 2022	1	20	20
117	मॉडल सी.एल.एफ विजनिंग एक्सरसाइज टी.ओ. टी.	31 जनवरी से 04 फरवरी, 2022	5	35	175
118	त्रिस्तरीय पंचायतीराज सदस्य वित्तीय अंकेक्षण बैठक	08 फरवरी, 2022	1	38	38
119	जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	09 से 10 फरवरी, 2022	2	50	100

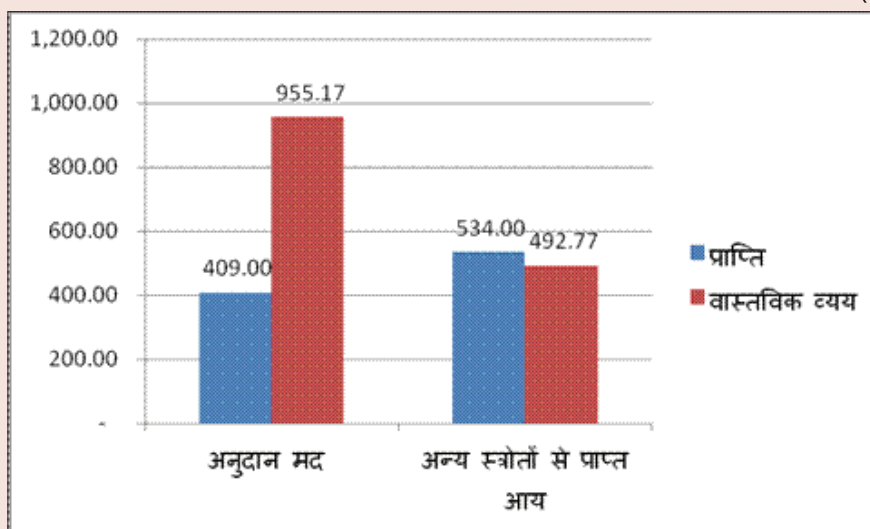
स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
120	नाबार्ड, कृषक उत्पादक संगठनों के क्षमतावर्द्धन हेतु 02 दिवसीय कार्यशाला	14 से 15 फरवरी, 2022	2	47	
121	मॉडल सी.एल.एफ विजनिंग एक्सरसाइज टी.ओ. टी.	14 से 18 फरवरी, 2022	5	37	185
122	जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17 से 18 फरवरी, 2022	2	50	100
123	जैविक खेती एवं जैविक पंजीयन	21 से 23 फरवरी, 2022	3	44	132
124	एनएचएम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	22 से 28 फरवरी, 2022	7	88	616
125	मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिला ग्वालियर)	23 से 24 फरवरी, 2022	2	50	100
126	जैविक खेती एवं जैविक पंजीयन	24 से 26 फरवरी, 2022	3	46	138
127	ट्रेनिंग नीड असेसमेंट	25 फरवरी, 2022	1	34	34
128	अटल भूजल योजना अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिला टीकमगढ़)	25 फरवरी, 2022	1	50	50
129	अटल भूजल योजना अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिला निवाड़ी)	26 फरवरी, 2022	1	50	50
	कुल		322	5546	14664
ऑनलाईन कार्यक्रम					
1	WALMIKI Plantation Process Trg.	31 मई, 2021	1	28	28
2	Nano Watershed Process Trg.	01 जून, 2021	1	22	22
3	Horticulture Trg.	02 जून, 2021	1	26	26
4	Organic Waste Management	02 जून, 2021	1	27	27
5	ऑनलाइन बेसिक आफ जीआईएस एण्ड रिमोट सेंसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.05.2021 से 28.05.2021	05	30	150
6	ऑनलाइन वाटर कंजर्वेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.05.2021 से 28.05.2021	05	42	210

स. क.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी मानव दिवस
7	व्दसपदम मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के जियोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटरनशिप कार्यक्रम	24.05.2021 से 28.05.2021	10	24	240
8	जलवायु आपदा प्रबंधन में ऑनलाईन प्रशिक्षण	24 से 28 मई, 2021	5	40	200
9	जलवायु आपदा प्रबंधन में ऑनलाईन प्रशिक्षण	07-11 जून, 2021	5	40	200
9	ऑनलाइन बेसिक आफ जीआईएस एण्ड रिमोट सेंसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.08.2021 से 07.08.2021	05	05	25
10	पर्यावरण प्रशिक्षण (ईकोलॉजी पार्क)	31.10.2021	01	75	75
	कुल		40	359	1203
स. अन्य कार्यक्रम					
	कुल		929	23689	23689

वित्तीय उपलब्धियां / परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)

वित्तीय वर्ष 2021-22

(राशि रु. लाख में)



अधोसंरचना एवं सुविधाएं

- 89 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में विस्तारित कलियासोत बांध के तट पर पहाड़ी स्थलाकृति वाला Lungs of Bhopal के रूप में चिन्हांकित अत्यंत सुरम्य परिसर।
- शिक्षण/प्रशिक्षण/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित व्याख्यान कक्ष, सभागार, संगोष्ठी हॉल, ओपन क्लास रूम, बैठक कक्ष, कम्प्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं, GIS एवं Remote लैब, प्रदर्शन प्रक्षेत्र, ओपन थिएटर। कुल क्षमता – 900 व्यक्ति।
- आधुनिक एवं हाईजिनिक उपकरणों से सुसज्जित छात्रावास, डोर्मिटरीस, मैस इत्यादि। क्षमता – 250 व्यक्ति।
- सर्वसुविधायुक्त प्रशासकीय भवन, संकाय कक्ष, वाचनालय, इनडोर/आउट डोर क्रीड़ा स्थल तथा जिम।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम एवं परिणाम

- प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शन, स्वयं करो (DIY), भ्रमण कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 94,000 प्रतिभागियों एवं परोक्ष रूप में लगभग 1 करोड़ प्रतिभागियों तक पर्यावरण प्रबंधन की तकनीकों का प्रसार कर रु. 26.80 करोड़ की प्रत्यक्ष आय अर्जित।
- युवा छात्र/छात्राओं एवं सामान्य जनों को निशुल्क एवं सशुल्क Online/Offline इंटरनेट कार्यक्रमों, ट्रेकिंग, तकनीकी भ्रमण, साहसिक क्रीड़ाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं अन्य समसामयिक विषयों पर जानकारी का प्रदाय। प्रतिभागी संख्या— 81,000, आय—रु. 3.4 लाख।
- वेबसाइट, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से 200–250 स्त्रोत व्यक्तियों का उच्च स्तरीय समिति द्वारा एम्प्लेनेल्मेंट, प्रशिक्षण, शोध, मूल्यांकन, परियोजनाओं, सलाहकारिता सेवाओं इत्यादि हेतु संलग्न कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। नियमित स्टाफ रखने पर संभावित व्यय रु. 2.10 करोड़ होता। वास्तविक व्यय रु. 65 लाख हुआ।
- जल जीवन मिशन के मैदानी अमले को प्रशिक्षित कर रु. 4 करोड़ की आय अर्जित की तथा भारत सरकार से प्राप्त सीमित बजट में अटल भूजल योजनान्तर्गत बुंदेलखंड के मैदानी क्षेत्रों में चुनौतिपूर्ण प्रशिक्षण संचालित किये जिससे जल संसाधन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आय अर्जन—रु. 1.71 करोड़। 80 लोगों आय अर्जन के साधन उपलब्ध कराये गये।
- तनाव रहित प्रशिक्षण, नवीन प्रशिक्षण गतिविधियों जैसे चाक एंड टॉक, वर्चुअल कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट आवंटन, प्रस्तुतिकरण, मनोरंजन तकनीकी गतिविधियों से प्रशिक्षणों को अधिक रुचिकर बनाया गया।



प्राकृतिक संसाधन विकास हेतु किये गए कार्य एवं परिणाम

- जल ग्रहण क्षेत्र विकास की अवधारणा को सूक्ष्मतरंग स्तर पर ले जाकर प्रत्येक कृषक को लाभान्वित करने के उद्देश्य से नैनो वाटर शेड विकास की अभिकल्पना का विकास। संस्थान के प्रक्षेत्र पर विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं जैसे कंटूर ट्रेन्चेस (450 Nos – 1000 मीटर), गेबियन संरचना (2 Nos), सैंड बैग संरचना (1) दोहा पैटर्न चैनल (7 Nos – 600 मीटर), परकोलेशन टैंक (7 Nos) इत्यादि का निर्माण, वनीकरण, आजीविका मूलक गतिविधियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन।

- शीघ्र वन विकास की मूल जापान की पद्धति “मियावाकी” में स्थानीय दशाओं एवं संसाधनों के अनुकूल परिवर्तन एवं उन्नयन कर “वाल्मी फॉरेस्ट— एक वर्ष में घने जंगल की गारंटी” पद्धति का विकास। लागत मूल पद्धति से पांच गुना कम तथा पौध बढ़वार 4 गुना शीघ्र। पद्धति का सफल क्रियान्वयन—वाल्मी परिसर, पोलिटेक्निक कॉलेज, रवीन्द्र भवन, स्मार्ट सिटी, सतना, खजुरी सड़क, जिला पंचायत भोपाल, बिल्डर्स एसोसिएशन क्रेडाई इत्यादि स्थानों पर 30500 स्थानीय प्रजातियों का जंगल निर्मित। आय— 30–40 लाख रुपए।
- प्रायोगिक रूप में वाल्मी फॉरेस्ट पद्धति से सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए मंत्रालय वल्लभ भवन की एनेक्सी क्र. 2 के चतुर्थ तल (माननीय मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव कार्यालय) की कांक्रीट टेरेस पर बांस की क्यारियां में “वाल्मी फॉरेस्ट : एक वर्ष में घने जंगल की गारंटी” पद्धति से सौन्दर्यीकरण का कार्य अत्यंत सीमित बजट में कर रुपये 14 लाख की आय।
- वन्या तकनीक द्वारा प्रक्षेत्र के 100 एकड़ क्षेत्र में सुबबूल, नीम, आंवला इत्यादि का कंटूर पर रोपण कर 40000–50000 वृक्षों का विकास प्रगतिरत एवं इन वृक्षों की छाया में खस, हल्दी, अदरक आदि का प्लांटेशन।
- संस्थान परिसर में 170 प्लोरा एवं 151 फौना प्रजातियों को चिन्हांकित कर उनका संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन। 2 लाख से अधिक वृक्षों का प्रजातिवार एवं आयुवार अभिलेखीकरण, सुरक्षा एवं संरक्षण। परिसर को बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किये जाने के प्रयास।
- परिसर में बड्स हैबिटेट एवं वन्य प्राणियों के लिए सेफ कोरीडोर का विकास।
- परिसर में जैव विविधता की सुरक्षा हेतु जैविक बागड़ का विकास (बोगेन विलिया), बाउंड्री वाल का निर्माण, सुरक्षा एजेंसी का नियोजन इत्यादि व्यवस्थाओं द्वारा अनाधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित किया जाकर शासन की बहुमूल्य जैविक सम्पदा संरक्षित की गई।
- संस्थान के भवनों की दीवारों को Green Wall के रूप में विकसित कर पर्यावरण मैत्रीय वातावरण निर्मित किया गया।
- संस्थान परिसर एवं कृषि प्रशिक्षण संस्थान की 3250 वर्ग मीटर क्षेत्र Roof Water Harvesting कार्य। 28.60 लाख लीटर जल द्वारा भू जल संवर्धन। भूजल स्तर में वृद्धि। SIAET से प्राप्त आय— रु. 25.75 लाख. Perforated (छिद्रदार) चंजील निर्मित कर भू जल संवर्धन।
- संस्थान की मेस, कॉलोनी एवं परिसर से प्राप्त जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट मशीन, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि द्वारा 5,000 किलो जैविक खाद का निर्माण एवं उपयोग। विक्रय द्वारा 75 हजार की आय।
- संस्थान द्वारा वृक्षों के संरक्षण, संवर्धन एवं रोपण से प्रति वर्ष 16,250 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो 2.50 लाख आबादी की वर्षभर की आवश्यकता के लिए पर्याप्त। 3,000 टन कार्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) के अध्ययन अनुसार नैनो वाटरशेड विकास कार्यों से 30 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मृदा क्षरण में कमी। 0.86 लाख घन मीटर जल का संवर्धन जो 6,000 व्यक्तियों की वर्ष भर की जल आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त। निकटवर्ती क्षेत्रों के भू जल स्तर में 10– 12 फिट की वृद्धि।

परियोजनाएं एवं मूल्यांकन कार्य :-

- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग अंतर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की 331 वाटरशेड परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रु. 363.60 लाख की आय अर्जित। 40 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया।
- जल संसाधन विभाग मंत्रालय की 11 केडवम परियोजनाओं का Third Party Concurrent मूल्यांकन किया जाकर रु. 78.63 लाख की आय अर्जित।
- State Specific Action Plan for Water Sector अंतर्गत राज्य के लिए प्लानिंग जिसे भारत सरकार ने मान्य किया। आय रु. 50 लाख।
- माइनिंग की CEMAA परियोजना क्रियान्वयन। आय रु. 59.15 लाख।



कर्मचारी कल्याण-परिणाम

- समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमानुसार स्थाई कर्मों के रूप में विनियमित कर वेतनमान व वार्षिक वेतन वृद्धि।
- स्थाई कर्मियों को योग्यता अनुसार अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी का दर्जा।
- समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवां वेतन मान।
- वेतन निर्धारण की जांच एवं समस्त वेतनमानों का कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन।
- यथा योग्य छठवें वेतनमान के एरियर्स, समयमान, वेतनमान इत्यादि स्वत्वों की स्वीकृति एवं भुगतान।
- शासन के प्रावधानों एवं नियमानुसार पात्र प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के दिन ही स्वत्वों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को युनिफॉर्म व गर्म कोट, कर्मचारियों के पारिवारिक कार्यक्रमों हेतु संस्थान की मेस, हॉस्टल, कलाकाश मंच की रियायती दरों सुविधाएँ इत्यादि प्रारंभ की गई।
- संस्थान की आय रुपये 5 करोड़ से अधिक होने पर स्टाफ को विशेष प्रोत्साहन।
- संस्थान परिसर में स्थित कर्मचारी आवासों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य।
- कर्मचारियों के स्वेच्छा पूर्वक अंशदान से कर्मचारी कल्याण कोष निर्मित किया गया जिससे सेवानिवृत्ति उपरान्त नगद राशि, मेधावी बच्चों की पढ़ाई, विवाह, उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कार, मृत्यु संस्कार इत्यादि हेतु सहायता राशि प्रदाय किया जाना प्रारंभ।
- कोरोना काल में कर्मचारियों की निःशुल्क जांच एवं यथा संभव सहायता।
- अधिकारियों/कर्मचारियों को अध्ययन प्रवास पर भेजा जाकर उनका ज्ञान वर्धन।
- कर्मचारियों के मध्य सौहार्द एवं पारस्परिक समन्वय में वृद्धि के लिए उत्सवों एवं खेल स्पर्धाओं का आयोजन व विजेताओं पुरस्कृत किया जाना।
- उक्त वर्णित कार्यों एवं प्रावधानों से संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह, उमंग एवं ऊर्जा का संचार हुआ जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि एवं कार्यालयीन कार्यों में रुचि स्थापित हुई।

वित्तीय सुधार

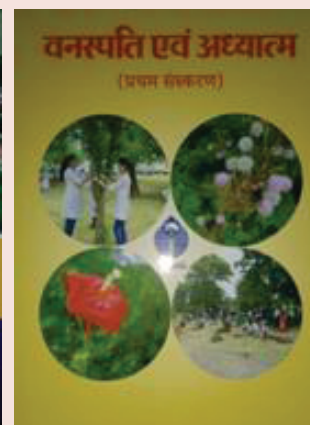
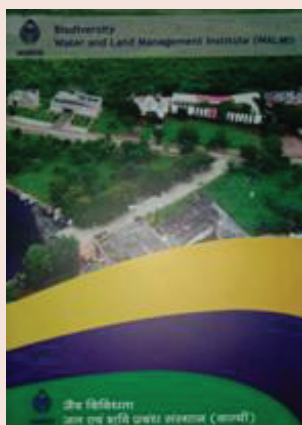
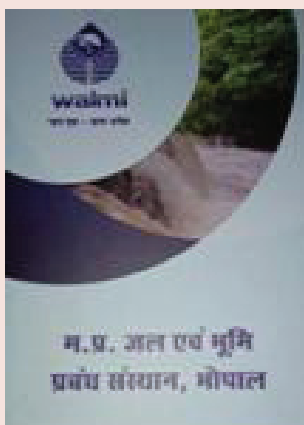
- संस्थान की सुविधाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु शुल्क नीति निर्धारण।
- संस्थान को 12A के अंतर्गत पंजीकृत कराकर आयकर में छूट प्राप्त की गई।
- संस्थान का CSR एवं म.प्र. पंचायत दर्पण में पंजीकरण जिससे संस्थान CSR राशि प्राप्त करने हेतु मान्य।
- 80-G में पंजीयन कराया गया तथा ISO 9001 2015 एवं ISO 14001 2015 का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया।
- वर्षों से लंबित आयकर रिटर्न्स की कार्यवाही पूर्ण करते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर कटौती की राशि रु. 18,06,200/- प्राप्त की गई।
- वर्ष 2018-19 की आयकर कटौती वापसी की कार्यवाही प्रचलन में।
- विभिन्न विभागों एवं गैर शासकीय संगठनों के विरुद्ध लंबित अग्रिम भुगतान राशि रु. 6.28 करोड़ के विरुद्ध रु. 4.30 करोड़ समायोजित।
- FSSAI द्वारा संस्थान को EAT Right Campus घोषित करते हुए Five Star रेटिंग (Excellent) दी गई।



सम्बद्ध संस्थाएं एवं एजेंसीज

विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संगठनों/ संस्थानों – डेवलपमेंट आल्टरनेटिव, वाटर ऐड, क्लब ऑफ रोम, आर.जी.आई.सी.एस. परमार्थ, ओरिएण्टल कॉलेज, आई.आई.टी., मुम्बई क्रेडाई यूथ विंग, म.प्र., वी. आई.टी., इंजीनियर एसोसिएशन, नेशनल डिस्टास्टर मैनेजमेंट इत्यादि के साथ प्रोजेक्ट पालिसी पेपर, सेमिनार इत्यादि सम्पादित कर रुपये 1 करोड़ की आय अर्जित।

प्रकाशन



1. पुस्तिकाएँ, ब्रोशर, बुकलेट इत्यादि : इला अमृतम (4 संस्करण), वाल्मी नाम एक-काम अनेक, प्राकृतिका-मंत्रालय टेरेस गार्डन, जैव विविधता- जल, जंगल, जमीन., वनस्पति एवं अध्यात्म, Establishing Standard Benchmarks for State Level Training Institutions.

2. शोध पत्र :

- Impact Assessment study of water harvesting structures And soil conservation measures in demonstration farm of WALMI.
- Is quality in capacity building And training institution development matters the most? Setting benchmarking process And benchmark standards for training institution – published in International journal of Advances in Agriculture science And technology.



विशेष उपलब्धियां यथा योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का स्थान व चालू वर्ष में प्राप्त पुरस्कार, अवार्ड, सराहना आदि का उल्लेख किया जाये।

- आम जनमानस एवं पत्रकारिता जगत द्वारा संस्थान- परिसर को “Lungs of Bhopal” की संज्ञा दी गई।
- खजुराहो फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में संस्थान द्वारा जल, जंगल एवं जमीन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की है।
- अटल भूजल योजनान्तर्गत बुंदेलखंड के मैदानी क्षेत्रों में चुनौतिपूर्ण प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा सराहना की गई।

झरोखा- भविष्य के कार्यों का

- लैब-टू-लैंड अवधारणा अंतर्गत संस्थान की विभिन्न उपलब्धियों एवं नवाचारों का मैदानी स्तर तक विस्तार।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं के रोजगार निर्माण हेतु कार्य योजना निर्मित कर क्रियान्वयन।
- आई.आई.टी., मुम्बई एवं वाटरएड के साथ समन्वय स्थापित कर परिसर के अपशिष्ट जल का उपचार व उपयोग।
- प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु निर्धारित बेंचमार्क स्थापित कर आई.एस.ओ. से प्रमाणीकरण व नाबेट से अधिमान्यता।
- संस्थान के नवाचारों हेतु पेटेंट प्राप्त किया जाना।
- प्रशिक्षण सहभागी को इम्पैनल किया जाना।
- इको फ्रेंडली ग्राम का निर्माण एवं प्रदर्शन।
- मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन इत्यादि जिन क्षेत्रों में संस्थान को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उनका अध्ययन कर सफलता प्राप्ति के प्रयास किये जाना।
- ग्रीन डेवलपमेंट कन्सेप्ट – क्लाइमेट चेंज पर कार्य।

वाल्मी शासी निकाय के अध्यक्ष – मुख्य सचिव तथा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के मार्गदर्शन में संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है।



विभागीय समीक्षा बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के मोबाईल एप्प का लोकार्पण करते हुए
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान



एसएचजी के सामुदायिक उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिये व्यावसायिक केन्द्रों के प्रचार,
विकास और संचालन में तकनीकी सहयोग हेतु **MOU** पर हस्ताक्षर करते हुए प्रमुख सचिव पंचायत
एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं निदेशक **IIM** इंदौर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन